NEXT IAS

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत का इतिहास

सिविल सेवा परीक्षा 2027

MADE EASY PUBLICATIONS
द्वारा प्रकाशित

MADE EASY Publications Pvt. Ltd.
कॉर्पोरेट कार्यालय: 44-A/4, कालू सराय
(हौज़ ख़ास मेट्रो स्टेशन के निकट), नई दिल्ली-110016
संपर्क सूत्र: 011-45124660, 8860378007
ई-मेल करें: infomep@madeeasy.in
विज़िट करें: www.madeeasypublications.org

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत का इतिहास

© कॉपीराइट: Made Easy Publications Pvt. Ltd.

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रतिलिपिकरण, पुनर्मुद्रण, प्रस्तुतीकरण और किसी ऐसे यंत्र में संग्रहण नहीं किया जा सकता, जिससे इसकी पुनर्प्राप्ति की जा सकती हो अथवा इसका स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार) से उपर्युक्त उल्लिखित प्रकाशक की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

प्रथम संस्करण: 2024

द्वितीय संस्करण: 2025

तृतीय संस्करण: 2026

विषयसूची

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत का इतिहास

अध्याय 1

नेहरू युग (Nehruvian Era) 1
1.1 भारत का एकीकरण (Integration of India) 1
भारतीय राज्यों का वर्गीकरण (Classification of Indian States) 1
रियासतों का एकीकरण (Integration of Princely States) 2
विभाजन और उसके तात्कालिक परिणाम (Partition and its Aftermath) 8
राज्यों का भाषायी पुनर्गठन (Linguistic Reorganization of States) 9
भारत में आदिवासियों का एकीकरण (Integration of Tribals in India) 12
राजभाषा का मुद्दा (Issue of Official Language) 14
हिंदू संहिता/कोड विधेयक (Hindu Code Bill) 16
1.2 राजनीतिक विकास (Political Developments) 16
संसदीय लोकतंत्र (Parliamentary Democracy) 16
एकल पार्टी के प्रभुत्व वाली व्यवस्था (One Party Dominated System) 17
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पतन (Decline of Indian National Congress) 17
1.3 विदेश नीति (Foreign Policy) 20
बांडुंग सम्मेलन (Bandung Conference), 1955 20
गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Alignment Movement-NAM) 21
पंचशील समझौता (The Panchsheel Agreement) 22
1.4 भारत-चीन संबंध (India-China Relations) 23
तिब्बती संकट (Tibetan Crisis) 23
1962 का युद्ध (1962 War) 24
1.5 नेहरू युग का विश्लेषण (Analysis of Nehruvian Era) 25
उपलब्धियाँ (Achievements) 25
कमियाँ (Shortcomings) 25
1.6 निष्कर्ष (Conclusion) 26

अध्याय 2

लाल बहादुर शास्त्री युग (Lal Bahadur Shastri Era) 27
2.1 परिचय (Introduction) 27
चुनौतियाँ (Challenges) 27
प्रतिक्रिया (Response) 27
2.2 राजनीतिक विकास (Political Developments) 27
कामराज योजना (Kamaraj Plan) 27
क्षेत्रीय दलों का उदय (Rise of Regional Parties) 28
2.3 ताशकंद समझौता (Tashkent Agreement) 29
भारत-पाक युद्ध (Indo-Pak War) 1965 29
ताशकंद घोषणा (Tashkent Declaration) 30
2.4 श्वेत क्रांति (White Revolution) 30
पृष्ठभूमि (Background) 30
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (National Dairy Development Board) 32
ऑपरेशन फ्लड (Operation Flood) 32
आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis) 33
2.5 हरित क्रांति (Green Revolution) 33
अमेरिका से खतरा (Threat from the USA) 34
आत्मनिर्भरता की ओर (Towards Self-Reliance) 34
आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis) 34
निष्कर्ष (Conclusion) 35
2.6 भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) 35
उपलब्धियाँ (Achievements) 35
चुनौतियाँ (Challenges) 36
संभाव्यता (Prospects) 36
2.7 लाल बहादुर शास्त्री काल: आलोचनात्मक विश्लेषण (Lal Bahadur Shastri Years : Critical Analysis) 36
उपलब्धियाँ (Achievements) 36
आलोचना (Criticism) 36
निष्कर्ष (Conclusion) 36

अध्याय 3

इंदिरा गाँधी युग (Indira Gandhi Era) 37
3.1 परिचय (Introduction) 37
इंदिरा गाँधी के लिए चुनौतियाँ (Challenges for Indira Gandhi) 37
3.2 राजनीतिक विकास (Political Development) 38
कांग्रेस में फूट (Split in Congress) 38
एकल दल से बहुदलीय प्रणाली (Single Party to Multi-party System) 39
गठबंधन सरकारों का युग (Era of Coalition Government) 39
दल-बदल की राजनीति (Politics of Defection) 40
जे.पी. नारायण और संपूर्ण क्रांति (JP Narayan and Total Revolution) 40

जनता सरकार: केंद्र में गठबंधन (Janata Government: Coalition at Centre) 41
गठबंधन राजनीति का विश्लेषण (Analysis of Coalition Politics) 41
3.3 आर्थिक विकास (Economic Development) 41
पीएल–480 कार्यक्रम (PL-480 Program) 41
राष्ट्रीयकरण: बैंक और साधारण बीमा (Nationalization: Banks and General Insurance) 42
सार्वजनिक वितरण प्रणाली [Public Distribution System (PDS)] 43
प्रिवी पर्स (शाही भत्ता) की समाप्ति (Abolition of Privy Purse) 43
गरीबी हटाओ (Garibi Hatao) 44
3.4 अन्य प्रमुख घटनाक्रम (Other Major Developments)..... 44
नक्सलवादी (The Naxalites) 44
3.5 बांग्लादेशी शरणार्थी संकट (Bangladeshi Refugee Crisis).................................. 47
3.6 भारत–पाक युद्ध, 1971 (Indo-Pak War: 1971)............ 48
युद्ध की रणनीति (Strategy of War) 48
शिमला समझौता, 1972 (Simla Agreement) 49
भारत–सोवियत शांति संधि (Indo-Soviet Treaty of Peace) 50
3.7 जे.पी. आंदोलन (JP Movement).................................. 50
3.8 राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency).................. 51
घटनाएँ, जिनके कारण आपातकाल लगा (Events that led to the Emergency) 51
आपातकाल का घटनाक्रम (Course of Emergency)........ 52
न्यायपालिका के साथ संघर्ष (Tussle with Judiciary)... 52
जबरन या बलपूर्वक नसबंदी (Forced Sterilization) 52
जेल भरो आंदोलन (Jail Bharo Andolan) 53
राज नारायण प्रकरण (Raj Narain Case) 53
3.9 आपातकाल का विश्लेषण (Analysis of Emergency) 54

अध्याय 4

जनता सरकार (Janta Government)..................................... 55
4.1 परिचय (Introduction).. 55
4.2 क्षेत्रीय दलों और गठबंधन सरकारों का उदय (Rise of Regional Parties and Coalition Government) 55
44वाँ संवैधानिक संशोधन (44th Constitutional Amendment) 56
शाह आयोग की रिपोर्ट (Shah Commission Report) 57
काम के बदले अनाज कार्यक्रम (Food for Work Programme) 57
4.3 जनता सरकार का विश्लेषण (Analysis of Janata Government)... 58
उपलब्धियाँ (Achievements) 58
विफलताएँ (Failures) 58
4.4 इंदिरा गाँधी सरकार की वापसी (Return of Indira Gandhi Government).................... 59
4.4 पंजाब में अशांति (Unrest in Punjab) 59
4.6 ऑपरेशन ब्लूस्टार (Operation Bluestar) 60
4.7 इंदिरा गाँधी की हत्या (Indira Gandhi's Assassination).. 61
4.8 इंदिरा गाँधी युग का आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Appraisal of Indira Gandhi Era) 61
उपलब्धियाँ (Achievements) 61
विफलताएँ (Failures) 62
निष्कर्ष (Conclusion) 62

अध्याय 5

राजीव गाँधी युग (Rajiv Gandhi Era).................................. 63
5.1 परिचय (Introduction).. 63
5.2 पंजाब संकट (Punjab Crisis) 63
5.3 1984 सिख दंगे (1984 Sikh Riots)............................. 64
5.4 पंजाब समझौता (Punjab Accord)................................ 64
5.5 समझौते के परिणाम और पंजाब में आतंकवाद का अंत (Aftermath of the Accord and End of the Terrorism in Punjab)... 65
5.6 असम समझौता (Assam Accord) 65
5.7 भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) 66
त्रासदी के कारण (Causes of Tragedy)...................... 67
5.8 भारत का कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम (India's Computerization Program) 67
5.9 पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण (Strengthening of Panchayati Raj Institutions-PRIs) . 68
5.10 जवाहर रोजगार योजना (JRY) 69
5.11 शाह बानो प्रकरण (Shah Bano Case) 69
5.12 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (New Policy on Education-NPE 1986) 70
एनपीई 1986 के प्रमुख बिंदु (Key highlights of NPE 1986)............................... 70
5.13 ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड (Operation Blackboard) 70
ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की मुख्य विशेषताएँ (Salient features of Operation Blackboard) 71
5.14 बोफोर्स घोटाला (Bofors Scam).................................. 71
5.14 भारतीय शांति सेना (Indian Peace Keeping Force)...... 71
5.16 राजीव गाँधी की हत्या (Rajiv Gandhi's Assassination) 72
5.17 राजीव गाँधी युग: एक आलोचनात्मक मूल्यांकन (Rajiv Gandhi Era: A Critical Appraisal) 72
सकारात्मक (Positive) 73
नकारात्मक (Negative).. 73

अध्याय 6

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार National Front Government............ 74
6.1 पूर्व 1989 गठबंधन: तीसरा मोर्चा (Pre 1989 Coalition- Third Front): 74
1989 का चुनाव (Election of 1989).......................... 74
गठबंधन सरकार की शुरूआत (Beginning of Coalition Government)...................... 74

6.2 राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के दौरान की घटनाएँ (Events during the National Front Government) 74
6.3 मंडल आयोग (Mandal Commission) 75
मंडल आयोग रिपोर्ट की प्रस्तुति.................................... 75
सिफ़ारिशें (Recommendations) 75
तात्कालिक परिणाम (Aftermath)................................. 75
नतीजे/निष्कर्ष (Consequences) 76
विश्लेषण (Analysis)... 76

अध्याय 7

नरसिम्हा राव सरकार (Narsimha Rao Government)........... 78
7.1 भूमिका (Introduction).. 78
7.2 आर्थिक संकट और सुधार (Economic Crisis and Reforms)............................... 78
संकट (Crisis).. 78
पूर्व शर्तें (Preconditions).. 78
नई आर्थिक नीति (New Economic Policy- NEP)......... 79
विश्लेषण (Analysis)... 79
7.3 बाबरी मस्जिद विध्वंस (Babri Masjid Demolition)......... 79
तनाव (Tension)... 79
विध्वंस की ओर ले जाने वाली घटनाएँ (Events Leading to Demolition).............................. 79
तात्कालिक परिणाम (Aftermath)................................. 79
टाइटल सूट (स्वामित्व वाद) की वर्तमान स्थिति (Present Status of Title Suit)................................... 79
7.4 बॉम्बे बम विस्फोट (Bombay Bomb Blasts)................. 80
दीर्घकालिक प्रभाव (Long Term Impact) 80
7.5 पंचायती राज (Panchayati Raj).................................. 80
पंचायती राज अधिनियम (Panchayati Raj Act)............. 80

अध्याय 8

अंतर्काल वर्ष [Interregnum Years (1996-1998)]................ 81
8.1 बहु-दलीय काल (Multi Party Era)............................... 81
8.2 नई आकांक्षाएँ (New Aspirations) 81
8.3 अस्थिरता (Instability)... 81
8.4 गुजराल सिद्धांत (Gujral Doctrine) 81
सिद्धांत के घटक (Principles of Doctrine) 82
औचित्य (Rationale)... 82
प्रयोज्यता (Application)... 82
सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis of Doctrine) 82

अध्याय 9

NDA सरकार (NDA Government)....................................... 83
9.1 परिचय (Introduction).. 83
9.2 पोखरण (Pokhran) 83
पोखरण-II... 83
9.3 कारगिल युद्ध, 1999 (Kargil War, 1999) 84
पृष्ठभूमि (Background)... 84
युद्ध का घटनाक्रम (Course of War) 85
सिलसिलेवार युद्ध (Combat in Tandem).................... 85
युद्ध का महत्त्व (Significance of War) 86
निष्कर्ष (Conclusion) 86
9.4 सांप्रदायिकता (Communalism) 86
भारत में सांप्रदायिक हिंसा (Communal Violence in India)................................ 86
जाँच आयोग (Commission of Inquiry) 87
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जाँच (Supreme Court Monitored Inquiry)....................... 87

अध्याय 10

दलित आंदोलन (Dalit Movements)..................................... 88
10.1 परिचय (Introduction) 88
10.2 जाति व्यवस्था (Caste System).................................. 88
10.3 अछूत और अस्पृश्यता (Untouchables and Untouchability)......................... 88
10.4 स्वतंत्रता-पूर्व (Pre-Independence)............................. 88
आदि हिंदू आंदोलन (Adi Hindu Movement)................ 89
गाँधी और दलित आंदोलन (Gandhi and Dalit Movement)................................ 89
अंबेडकर और दलित आंदोलन (Ambedkar and Dalit Movement)........................... 89
10.5 स्वातंत्र्योत्तर (स्वतंत्रता पश्चात्) विकास (Post-Independence Developments) 90
संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)........... 90
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 [पूर्व में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के नाम से जाना जाता था]
Protection of Civil Rights Act, 1955 [Formerly known as Untouchability (Offences) Act, 1955]...... 91
अपराधों के लिए दंड (Punishments for Offences)...... 91
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
[Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989]........................ 92
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015
[Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2015]... 93
10.6 अंबेडकर और दलित बौद्ध आंदोलन (Ambedkar and Dalit Buddhist Movement)............. 95
10.7 दलित पैंथर्स (Dalit Panthers) 95
10.8 बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) 95
10.9 दलित पूँजीवाद (Dalit Capitalism)............................... 96
10.10 अन्य विकास (Other Developments).......................... 96
10.11 प्रभाव और विश्लेषण (Impact and Analysis) 96

अध्याय 11

पर्यावरणीय आंदोलन (Environmental Movements)........... 98
11.1 परिचय (Introduction).. 98
11.2 ऐतिहासिक आधार (Historical Underpinnings)............ 98
प्राक् इतिहास (Pre-History).. 98
प्रारंभ (Beginnings) 98
पश्चिमी देशों की तुलना में भारत की स्थिति (India in comparison to Western countries)........... 99
भारत में पर्यावरण आंदोलनों के उद्भव के कारण (Reasons for the emergence of environmental movements in India) 99
11.3 चिपको आंदोलन (Chipko Movement)......................... 99
पृष्ठभूमि (Background)... 99
विरोध (Protest) 100
माँगें (Demands).. 100
सरकार की प्रतिक्रिया (Government Response)......... 100
महत्त्व (Significance)... 100
11.4 शांत घाटी परियोजना (Silent Valley Project) 100
पृष्ठभूमि (Background).. 100
विरोध (Protest) 101
सरकार की प्रतिक्रिया (Government response).......... 101
महत्त्व (Significance)... 101
11.5 जंगल बचाओ आंदोलन (Jungle Bachao Andolan)..... 101
पृष्ठभूमि (Background).. 101
11.6 अप्पिको आंदोलन (Appiko Movement)..................... 101
पृष्ठभूमि (Background).. 102
विरोध (Protest) 102
उद्देश्य (Objectives) 102
महत्त्व (Significance)... 102
11.7 नर्मदा बचाओ आंदोलन (Narmada Bachao Andolan). 102
पृष्ठभूमि (Background).. 103
सरदार सरोवर परियोजना (Sardar Sarovar Project)..... 103
विरोध (Protests) 103
सरकार की प्रतिक्रिया (Government Response)......... 103
महत्त्व (Significance)... 103
11.8 पर्यावरण एवं महिलाएँ (Environment and Women) 103
11.9 पर्यावरण संबंधी आंदोलनों का आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis of Environmental Movements) 105
सकारात्मक पक्ष (Positives) 105
नकारात्मक पक्ष (Negatives).................................... 105

अध्याय 12

भूमि सुधार (Land Reforms)... 106
12.1 स्वतंत्रता के समय (At the Time of Independence) 106
12.2 चरण (Phases) 106
पहला चरण (First Phase).. 106
दूसरा चरण (Second Phase) 106
12.3 कुमारप्पा समिति (Kumarappa Committee)............... 106
12.4 जमींदारी उन्मूलन (Zamindari Abolition).................... 107
प्रभाव (Impact)... 107
सीमाएँ (Limitations)... 107
आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis) 107
12.5 काश्तकारी सुधार (Tenancy Reform)......................... 108
पट्टा अवधि की सुरक्षा (Security of Tenure) 108
भूमिकर का विनियमन (Regulation of Rents) 108
स्वामित्व का अधिकार (Rights of Ownership) 108
संवैधानिक रक्षोपाय (Constitutional safeguards) 108
12.6 भूमि हदबंदी (Land Ceiling) 108
सीमाएँ (Limitations)... 109
12.7 भूदान आंदोलन (Bhoodan Movement) 109
12.8 सहकारिता और सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Cooperatives and Community Development Program)... 110
सहकारी समितियों के प्रकार (Types of Cooperatives) 110
सहकारिताकरण की सीमाएँ (Limitations of Cooperativization) 110
सहकारी समितियों के सकारात्मक पहलू (Positives of the Cooperatives)............................ 111
12.9 ऑपरेशन बर्गा (Operation Barga)............................. 111
विश्लेषण (Analysis)... 111
12.10 किसान आंदोलन (Farmers Movements)................... 112
पृष्ठभूमि (Background).. 112
नव किसान आंदोलन (New Farmers' Movement)...... 112

अध्याय 13

महिला आंदोलन (Women's Movements).......................... 114
13.1 परिचय (Introduction) 114
13.2 स्वतंत्रता पूर्व (Pre-Independence) 114
13.3 स्वतंत्रता पश्चात् (Post-Independence)..................... 114
13.4 भारतीय महिलाओं का राष्ट्रीय संघ (National Federation of Indian Women-NFIW) 114
13.5 स्व-रोजगार महिला संघ (सेवा) Self Employed Women's Association (SEWA)........ 115
SEWA का उद्देश्य (Aim of SEWA) 115
SEWA के लक्ष्य (Goals of SEWA) 115
13.6 मूल्य वृद्धि/महँगाई विरोधी आंदोलन (Anti-Price Rise Movement) 115
माँगें (Demands).. 115
विरोध का स्वरूप (Form of Protest) 115

13.7 नव-निर्माण आंदोलन (Nav Nirman Movement) 116
कारण (Causes) 116
विरोध का स्वरूप (Form of Protest) 116
13.8 शराब विरोधी आंदोलन (Anti-liquor Movements) 116
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) 116
आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) 116
आंदोलन का प्रसार (Spread of Movement) 117
सरकार की प्रतिक्रिया (Government Response) 117
13.9 आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis) 117

अध्याय 14

भारत का परमाणु कार्यक्रम (India's Nuclear Program) 118
14.1 उत्पत्ति (Genesis) 118
14.2 विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन (Evaluation of different Alternatives) 118
14.3 परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का उद्भव (Emergence of Nuclear Power Program) 118
14.4 त्रि-स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम (Three Stage Nuclear Power Program) 119
14.5 प्रारंभिक चरण में प्रसिद्ध नेताओं के विचार (Views of famous leaders in the initial phase) 120
जवाहर लाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) 120
लाल बहादुर शास्त्री (Lal Bahadur Shastri) 120
14.6 वर्तमान परिदृश्य (Present Scenario) 120
14.7 भारत का परमाणु हथियार कार्यक्रम (India's Nuclear Weapons Program), 1944-1974 ... 120
परमाणु हथियार कार्यक्रम की उत्पत्ति के कारण (Reasons for Origin of Nuclear Weapons Program) 120
कार्यक्रम का विकास (Evolution of the Program) 120
पुनरुद्धार के कारण (Reasons for Revival) 121
ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा (Operation Smiling Buddha) 1974 121
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया (International Response) 122
परीक्षण का विश्लेषण (Analysis of Test) 122
14.8 परमाणु हथियार कार्यक्रम (Nuclear Weapons Program), 1974-98 122
1990 तक विकास (Developments till 1990) 122
भारत और अप्रसार (India and Non-Proliferation) 123
ऑपरेशन शक्ति: 1998 (Operation Shakti: 1998) 123
14.9 भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में: 1998 और उसके बाद (India as a Nuclear Power : 1998 and beyond) 124
भारतीय परमाणु नीति की मुख्य विशेषताएँ (Salient features of Indian Nuclear Policy) 124

अध्याय 15

शैक्षणिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास (Educational, Scientific and Industrial Developments) .. 125
15.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) 125
15.2 स्वतंत्रता के समय शिक्षा (Education at Independence) 126
15.3 स्वातंत्र्योत्तर (स्वतंत्रता पश्चात्) इतिहास (Post Independence Developments) 126
राधाकृष्णन आयोग, 1948-49 (Radhakrishnan Commission) 126
कोठारी शिक्षा आयोग, 1964-66 (Kothari Education Commission) 126
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 (National Policy on Education) 127
समवर्ती सूची में शिक्षा (Education in Concurrent List) 127
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (National Policy on Education – NPE) 128
प्रोग्राम ऑफ एक्शन, 1992 (Programme of Action – POA) 129
शिक्षा: एक मौलिक अधिकार (Education : A Fundamental Right) 129
नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 [New NEP (2020)] . 132
15.4 भारत में वैज्ञानिक विकास (Scientific Developments in India) 133
स्वतंत्रता-पूर्व उपलब्धियाँ (Pre-Independence Achievements) 133
स्वतंत्रता पश्चात् (After Independence) 134
15.5 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम: एक सिंहावलोकन (Indian Space Programme: An overview) 137
उत्पत्ति (Genesis) 137
प्रमुख उपलब्धियाँ (Major Milestones) 137
15.6 स्वतंत्रता पूर्व औद्योगिक विकास (Industrial Development before Independence) 139
15.7 स्वतंत्रता पश्चात् औद्योगिक विकास (Industrial Development after Independence) 139
औद्योगिक नीति संकल्प-1948 [Industrial Policy Resolution (IPR) - 1948] 139
आर्थिक योजना-1950 (Economic Planning-1950) ... 140
औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 (Industrial Policy Resolution) 140
तृतीय पंचवर्षीय योजना, 1961-1966 (Third five-year plan) 140
एकाधिकार जाँच आयोग, 1964 (Monopolies Inquiry Commission) 140
वार्षिक योजनाएँ, 1966-69 (Annual Plans) 140
चौथी पंचवर्षीय योजना, 1969-74 (Fourth Five-Year Plan) 140

औद्योगिक नीति विवरण, 1973
(Industrial Policy Statement) 141
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, 1974–79
(Fifth Five-year Plan) 141
औद्योगिक नीति विवरण, 1977
(Industrial Policy Statement) 141
छठी पंचवर्षीय योजना, 1980–85
(Sixth Five-Year Plan) 141
औद्योगिक नीति विवरण, 1980
(Industrial Policy Statement) 141
सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985–90
(Seventh Five-Year Plan) 141
1991 से पूर्व की औद्योगिक नीतियों की समीक्षा
(Review of Pre-1991 Industrial Policies) 142
15.8 उदारीकरण–निजीकरण–वैश्वीकरण (LPG)
[Liberalization-Privatization-Globalization (LPG)] .. 142
पृष्ठभूमि (Background) 142
नवीन औद्योगिक नीति, 1991
(New Industrial Policy) 142
विश्लेषण (Analysis) 143
15.9 अन्य नीतिगत पहलें (Other Policy Initiatives) 143

अध्याय
1

नेहरू युग
(Nehruvian Era)

1.1 भारत का एकीकरण (Integration of India)

भारत को लंबे संघर्ष और कई स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के पश्चात् स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 1857 के विद्रोह के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों के स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। कई बार स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों पर असहमत हुए थे। उदाहरण के लिए, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने सत्याग्रह का समर्थन किया था, जबकि अन्यों ने; जैसे- इंडियन नेशनल आर्मी (Indian National Army) ने सशस्त्र विद्रोह को प्राथमिकता दी थी, लेकिन उन सभी ने अनुभव किया, कि भारत को अपनी दुर्बल (Debilitating) और दयनीय (Pitiful) स्थिति से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना आवश्यक है।

स्वतंत्रता के समय भारत कई समस्याओं; जैसे- सांप्रदायिक हिंसा, विभाजन और विस्थापित लोगों के पुनर्वास (Resettlement), विभाजन के परिणामस्वरूप सशस्त्र बलों और नौकरशाही का विभाजन, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था, संसाधनों की कमी/समाप्ति (Deplete), राजनीतिक मोर्चे पर स्थिरता की आवश्यकता आदि का सामना कर रहा था। देशी रियासतों का एकीकरण प्रमुख मुद्दों में से एक था, जिसके बिना एकीकृत देश का सपना अधूरा रह जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत में प्रमुख रूप से ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र शामिल थे, जिनकी संख्या 565 थी, जो सीधे ब्रिटिश सरकार और रियासतों द्वारा प्रशासित किए जाते थे। हालाँकि, स्वतंत्रता से पहले रियासतों को आंतरिक मामलों में पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन ब्रिटिश क्राउन ही राज्यों पर सर्वोपरि शक्ति का उपयोग करता था।

भारतीय राज्यों का वर्गीकरण (Classification of Indian States)

स्वतंत्रता के उपरांत इन रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता/सर्वोच्चता समाप्त हो गई और ये रियासतें पाकिस्तान या भारत में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के लिए मुक्त/स्वाधीन थीं। कई बड़ी रियासतें पूर्ण स्वतंत्रता एवं संप्रभुता का सपना देखने लगीं और उसके लिए योजनाएँ बनाने लगीं। उन्होंने दावा किया कि सर्वोच्चता/संप्रभुता (Paramountcy) भारत और पाकिस्तान के नए राज्यों/देशों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती।

मुहम्मद अली जिन्ना ने इन रियासतों को और प्रोत्साहन दिया। उन्होंने 18 जून, 1947 को सार्वजनिक रूप से घोषणा की, कि "सर्वोच्चता की समाप्ति पर राज्य स्वतंत्र संप्रभु राज्य (Independent Sovereign States) होंगे और यदि वे चाहें, तो स्वतंत्र/संप्रभु रहने के लिए मुक्त/स्वाधीन हैं।"

इन सभी रियासतों को नव-स्वतंत्र भारतीय संघ में एकीकृत करना जटिल कार्य था। हालाँकि, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में अनुनयन (Persuasion) और दबाव (Pressure), दोनों का उपयोग करके अधिकांश रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत कर लिया गया था, लेकिन तीन रियासतें, यानी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर ने एकीकरण में सहयोग नहीं किया जिससे समस्या बनी रही।

भारत के राजनीतिक संगठन को सरल बनाने के अलावा, रियासतों के क्षेत्रीय एकीकरण से इकाइयों में एकरूपता, सरलता और व्यवहार्यता (Viability) आई। इस प्रकार, जब संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, तो संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों की निम्नलिखित चार श्रेणियाँ शामिल की गई थीं:

भाग-A राज्य (Part-A States)

ब्रिटिश भारत के पूर्व प्रांत, जो निर्वाचित/मनोनीत गवर्नर और राज्य विधायिका द्वारा प्रशासित थे।

216 रियासतों का ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में विलय कर दिया गया, जिनकी जनसंख्या 19 मिलियन थी और उन्हें भाग-A राज्यों के रूप में नामित/वर्गीकृत किया गया। इनमें शामिल हैं: (1) असम, (2) बिहार, (3) बॉम्बे, (4) मध्य प्रदेश, (5) मद्रास, (6) उड़ीसा, (7) पंजाब, (8) उत्तर प्रदेश, (9) पश्चिम बंगाल।

भाग-B राज्य (Part-B States)

पूर्व रियासतें

275 रियासतों को नई व्यवहार्य प्रशासनिक इकाइयाँ बनाने के लिए एकीकृत किया गया, जिनकी जनसंख्या लगभग 35 मिलियन थी और उन्हें भाग-B राज्यों के रूप में नामित/वर्गीकृत किया

गया। इनमें शामिल हैं: (1) हैदराबाद, (2) जम्मू और कश्मीर, (3) मध्य भारत, (4) मैसूर, (5) पेप्सू (पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य-संघ), (6) राजस्थान, (7) सौराष्ट्र, (8) त्रावणकोर-कोचीन।

भाग-C राज्य (Part-C States)

पूर्व मुख्य आयुक्त के द्वारा प्रशासित प्रांत और कुछ रियासतें।

अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण 61 रियासतें, जो उपर्युक्त उल्लिखित दोनों श्रेणियों में शामिल नहीं थीं, उन्हें केंद्र-शासित क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया और भाग-C राज्य कहा गया। इस श्रेणी में शामिल हैं: (1) अजमेर, (2) बिलासपुर, (3) भोपाल, (4) कुर्ग, (5) दिल्ली, (6) हिमाचल प्रदेश, (7) कच्छ, (8) मणिपुर, (9) त्रिपुरा और (10) विंध्य प्रदेश।

भाग-D राज्य (Part-D States)

केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट-गवर्नर द्वारा प्रशासित।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को भाग-D राज्य नामक एक अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।

विभाजन-पूर्व भारत का मानचित्र

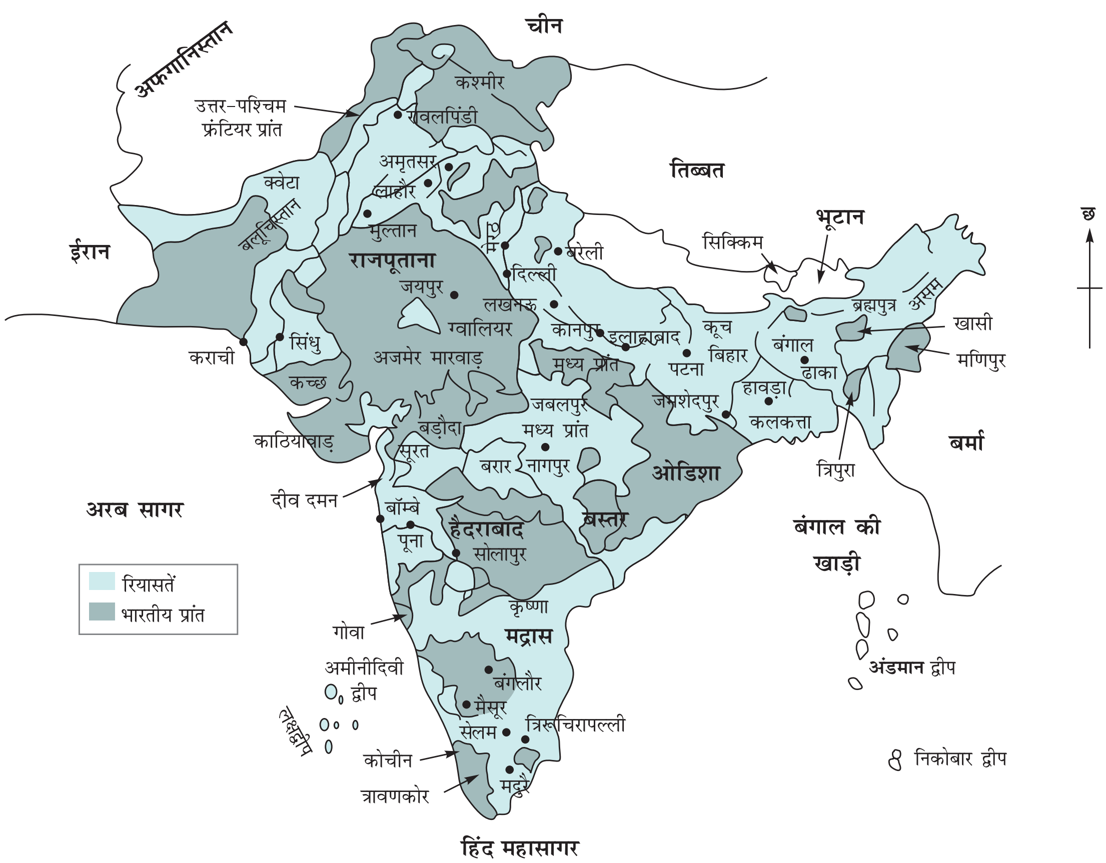

रियासतों का एकीकरण (Integration of Princely States)

ब्रिटिश भारत के साथ रियासतों का संबंध, उनके एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के साथ हस्ताक्षरित विभिन्न संधियों पर आधारित था। जिससे ब्रिटिश क्राउन का विदेशी, अंतर-राष्ट्रिय/अंतर्राज्यीय संबंधों (Inter-state relations) और रक्षा पर अलग-अलग स्तर का नियंत्रण था। इन संबंधों का विकास एक शताब्दी के दौरान हुआ था।

देशी रियासतों के शासकों ने भारत में ब्रिटेन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके अलावा इन रियासतों का प्रतिनिधित्व इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल (Imperial Legislative Council) और चैंबर ऑफ प्रिंसेस (Chamber of Princes) में किया गया था। इस प्रकार, राजकुमारों/रियासतों ने ब्रिटिश क्राउन के साथ प्रभाव/प्रभुत्व का एक माध्यम बनाए रखा।

स्वतंत्रता के पश्चात् यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न उभरा कि ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित करने वाले नए देश या राज्यों की प्रकृति और आकार किस प्रकार का होगा। पाकिस्तान निर्माण के लिए विभाजन की माँग एक केंद्रीय मुद्दा था, हालाँकि यह एकमात्र मुद्दा नहीं था। विभाजन योजना (Partition Plan) रियासतों के भविष्य से संबंधित नहीं थी, क्योंकि यह योजना केवल प्रांतों तक ही सीमित थी।

हालाँकि, तकनीकी रूप से रियासतों के शासक किसी भी डोमिनियन (भारत या पाकिस्तान) में शामिल होने के लिए मुक्त/स्वाधीन थे, लेकिन कुछ भौगोलिक कारण थे, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लगभग 565 रियासतों में से अधिकतर भौगोलिक रूप से भारतीय डोमिनियन के साथ जुड़ी थीं। कांग्रेस नेतृत्व द्वारा विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना के लिए सहमत होने के उपरांत भी, नए भारतीय राज्य का राजनीतिक भूगोल/भू-भाग अस्पष्ट बना हुआ था। स्वतंत्रता से पहले व्यापार, वाणिज्य और संचार के विकास ने जटिल समझौतों के माध्यम से रियासतों को ब्रिटिश भारत के साथ संबद्ध कर दिया था। रियासतों के एकीकरण के बगैर स्वतंत्रता के उपरांत, रेलवे, सीमा-शुल्क, सिंचाई, बंदरगाहों के उपयोग आदि से संबंधित समझौते समाप्त/जटिल हो जाते, जिससे एक अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाती। साथ ही इन रियासतों के लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और उन्होंने भी भारत के साथ एकीकृत होने की इच्छा जताई थी।

विदेशी क्षेत्र	फ्रांसीसी	पुर्तगाली
	5	3

प्रशासनिक प्रभाग	भारत	अजमेर	असम	बिहार	बिलासपुर	भोपाल	बॉम्बे	कूर्ग	दिल्ली	हिमाचल प्रदेश	हैदराबाद	जम्मू-कश्मीर	कच्छ	मध्य प्रदेश	मद्रास
जिलों की संख्या	310	1	17	18	1	2	28	1	1	4	16	1	1	22	26

प्रशासनिक प्रभाग	मध्य भारत	मणिपुर	मैसूर	उड़ीसा	पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ	पंजाब	राजस्थान	सौराष्ट्र	सिक्किम	त्रावणकोर-कोचीन	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	विंध्य प्रदेश	पश्चिम बंगाल	अंडमान-निकोबार द्वीप
जिलों की संख्या	16	1	9	13	8	13	25	5	1	4	1	51	8	15	1

परिग्रहण का साधन/विलय-पत्र (Instrument of Accession)

माउंटबेटन के साथ नेहरू और पटेल

सरदार पटेल और वी.पी. मेनन ने एक आधिकारिक संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे रियासतों के साथ 'विलय-पत्र/परिग्रहण के साधन के नाम से जाना जाता है। संधि के मूल सिद्धांतों के अनुसार भारत सरकार केवल विदेशी मामलों, रक्षा और संचार को नियंत्रित करेगी, जबकि अन्य सभी आंतरिक विषयों को राज्यों द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

रियासतों को इस गारंटी के साथ अधिक रियायतें दी गईं कि स्वेच्छा से हस्ताक्षर करने वाले शासकों से उनके राज्य का संवैधानिक प्रमुख पद नहीं लिया जाएगा। हालाँकि, इसके साथ ही उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति एक निर्वाचित सरकार को सौंपने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक बार विलय-पत्र पर हस्ताक्षर हो जाने के उपरांत, राज्य का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान सभा में प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस प्रकार ये रियासतें नए संविधान के निर्माण में एक सक्रिय भागीदार बन सकेंगी।

इस प्रकार आकर्षण, धमकाने और बहकाने/फुसलाने (Bullying and Cajoling) के एक शक्तिशाली साधन का उपयोग करके माउंटबेटन, पटेल और मेनन अधिकांश रियासतों को एकीकृत करने में सफल रहे। रियासतें सामाजिक बैठकों और अनौपचारिक परिवेश के माध्यम से संभावित संघर्षों को रोकने और समय-सीमा से पहले सुदृढ़ विश्वास के साथ भारतीय संघ में शामिल होने के लिए पैरवी कर रही थीं। पटेल ने भारत की रियासतों में राष्ट्रवाद का आह्वान करते हुए उन्हें भारत की स्वतंत्रता में शामिल होने और इसके अतिरिक्त अपने नागरिकों के भविष्य की परवाह करने वाले ज़िम्मेदार शासकों के रूप में कार्य करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही, एक अंतर्निहित धमकी भी जारी की, कि यदि उन्होंने 15 अगस्त, 1947 से पहले विलय-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया, तो उनको अपने नागरिकों के लोकप्रिय विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है।

रियासतें (States)

इन प्रयासों के फलस्वरूप जून से 15 अगस्त, 1947 तक भारत की 565 रियासतों में से 562 रियासतों ने विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। स्वतंत्रता से पहले त्रावणकोर पर सी.पी. रामास्वामी अय्यर का शासन था, जो चाहते थे कि त्रावणकोर एक मुक्त/स्वाधीन और संप्रभु देश बना रहे। राज्य के कम्युनिस्ट इस विचार से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने शासक के विरुद्ध विद्रोह का प्रयास किया। अपनी जान पर ख़तरे को देखते हुए अय्यर ने त्याग-पत्र दे दिया था। उसका उत्तराधिकारी पी.जी.एन. युनिथन बना। कई दौर की वार्ता के उपरांत 1949 में राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, जिससे त्रावणकोर-कोचीन राज्य का निर्माण हुआ।

भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर पर एक युवा शासक महाराजा हनवंत सिंह का शासन था। अन्य विकल्पों की खोज करते हुए उसने सोचा कि पाकिस्तान उन्हें भारत से बेहतर सौदा/पेशकश प्रदान करेगा और इसलिए इस रियासत के विलय में देरी हुई। यहाँ तक कि वह दिल्ली में जिन्ना से भी मिला, जहाँ जिन्ना ने उसे कई रियायतें देने का वादा किया। पटेल ने जोधपुर के शासक से मुलाकात की और भविष्य के विकास; जैसे- हथियारों के आयात, अनाज/खाद्यान्न की आवश्यकता और जोधपुर एवं काठियावाड़ को रेल से जोड़ने आदि पर चर्चा की। साथ ही पटेल ने शासक को चेतावनी दी कि यदि उसने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, तो भारतीय संघ उस समय पंजाब और बंगाल में सक्रिय सांप्रदायिक हिंसा की भांति उसके राज्य में संभाव्य सांप्रदायिक हिंसा के दौरान मदद नहीं कर पाएगा। भारत में शामिल होने पर अपने सर्वोत्तम हित को अनुभव करते हुए, उसने 11 अगस्त, 1947 को भारतीय संघ में शामिल होने को लेकर हस्ताक्षर कर दिए।

विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करने के बदले में रियासतों के शासकों को आकर्षक 'प्रिवी पर्स' (Privy Purses) प्रदान किया गया। यह राशि प्रत्येक राज्य द्वारा अर्जित राजस्व से जुड़ी हुई थी। प्रिवी पर्स, रियासतों के शासकों को भारत के साथ एकीकरण के समझौते के तहत दिया जाने वाला प्रोत्साहन था। हालाँकि, एकीकरण की कठिन प्रक्रिया में जूनागढ़, जम्मू-कश्मीर और हैदराबाद रियासतों ने संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी थी, जिससे भारतीय संघ के लिए एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था।

जूनागढ़ (Junagarh)

जूनागढ़ पश्चिमी भारत के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित था। जूनागढ़ पर एक मुस्लिम नवाब मुहम्मद महाबत खानजी-III (Nawab Muhammad Mahabat Khanji III) का शासन था। हालाँकि उसकी रियासत की 70% से अधिक जनसंख्या हिंदू थी। इसके अलावा उसका पाकिस्तान के साथ प्रत्यक्ष भूमि संपर्क नहीं था। जूनागढ़ और पाकिस्तान के मध्य अरब सागर स्थित था। जिन्ना की सलाह पर जूनागढ़ के नवाब ने भारत के साथ विलय की चर्चा में देरी की और 15 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान में शामिल होने की अपनी इच्छा प्रकट की।

इस तथ्य पर विचार करते हुए भारतीय नेताओं ने चिंता जताई कि जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय के कारण काठियावाड़ की प्रशासनिक और आर्थिक एकता संकट में पड़ जाएगी, लेकिन

जूनागढ़ और पाकिस्तान, दोनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह भी माना गया कि यदि जूनागढ़ को पाकिस्तान में जाने की अनुमति दी गई, तो इससे गुजरात में पहले से ही पनप रहा सांप्रदायिक तनाव और बढ़ जाएगा। इस प्रकार भारत ने रियासत में कोयला, पेट्रोलियम और चीनी सहित आवश्यक आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया।

बाद में पाकिस्तान ने जूनागढ़ का विलय स्वीकार कर लिया। आसन्न मुद्दे को हल करने के लिए भारत ने प्रस्ताव दिया कि राज्य के लोगों द्वारा राज्य का भविष्य तय करने के लिए एक जनमत संग्रह (Referendum or Plebiscite) कराया जाए। इस प्रकार के तरीकों का उपयोग पहले भी उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत और असम के सिलहट जिले में किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया था।

इस बीच काठियावाड़ में राज्य के नागरिक संगठनों के नेताओं ने जूनागढ़ की 'अनंतिम सरकार' बनाई। इस संगठन/संस्था ने जूनागढ़ के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया और सक्रिय रूप से नवाब के प्रशासन को उखाड़ फेंकने के लिए कार्य किया। अक्टूबर, 1947 के अंत तक, इसने जूनागढ़ क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था।

इस घटनाक्रम से जूनागढ़ का नवाब घबरा गया और पाकिस्तान भाग गया, चूँकि पाकिस्तान जूनागढ़ की सहायता के लिए सेना भेजने में अनिच्छुक था। तत्पश्चात् दीवान (नवाब के भाग जाने के उपरांत प्रभारी) ने भारत सरकार से राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल करने व प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए कहा, जिसे भारत सरकार ने तत्परता से स्वीकार कर लिया।

इस कदम का पाकिस्तान ने कड़ा विरोध किया, जिसने बाद में इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में उठाया। बाद में फरवरी, 1948 में भारत सरकार ने जूनागढ़ में एक जनमत संग्रह कराया, जिसमें भारी बहुमत से भारतीय संघ में विलय का समर्थन किया गया।

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir)

जम्मू-कश्मीर की स्थिति इस प्रकार थी कि इसकी सीमा पाकिस्तान और भारत, दोनों के साथ लगती थी। यहाँ एक हिंदू शासक महाराजा हरि सिंह एक मुस्लिम बहुल जनसंख्या पर शासन कर रहा था। शासक भारत और पाकिस्तान, दोनों में विलय करने का इच्छुक नहीं था। महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को मुक्त/स्वाधीन और एक तटस्थ राज्य बनाए रखने की उम्मीद में विलय पर निर्णय लेने में देरी की। हालाँकि, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके नेता शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली लोकप्रिय राजनीतिक शक्तियाँ भारत में शामिल होना चाहती थीं।

पाकिस्तान में कश्मीर पर आक्रमण करने और कब्ज़ा करने के लिए एक कबायली 'लश्कर' का गठन किया गया, क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि अगर कश्मीर भारत में शामिल हो गया, तो इससे पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा। चूँकि कश्मीर की सेना कबायली हमले का सामना करने में असमर्थ थी, इसलिए महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत से सैन्य सहायता की माँग की गई।

हालाँकि, नेहरू राज्य में जनमत संग्रह कराए बिना विलय के विरुद्ध थे, लेकिन भारत अपने सैनिकों को कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा विभाजन के सिद्धांतों के तहत रियासत के भारत में औपचारिक विलय के उपरांत ही भेज सकता था। इस प्रकार, महाराजा ने 26 अक्टूबर, 1947 को भारत में विलय कर लिया। अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार, भारत ने घोषणा की, कि स्थिति शांतिपूर्ण होने पर वह विलय के निर्णय पर जनमत संग्रह कराएगा। विलय के उपरांत भारतीय नेताओं ने तुरंत श्रीनगर में सेना भेजने के लिए कदम उठाए। पहले श्रीनगर पर कब्जा किया गया और फिर हमलावरों को धीरे-धीरे घाटी से बाहर खदेड़ दिया गया, हालाँकि आक्रमणकारियों ने राज्य के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और एक महीने तक सशस्त्र संघर्ष जारी रहा।

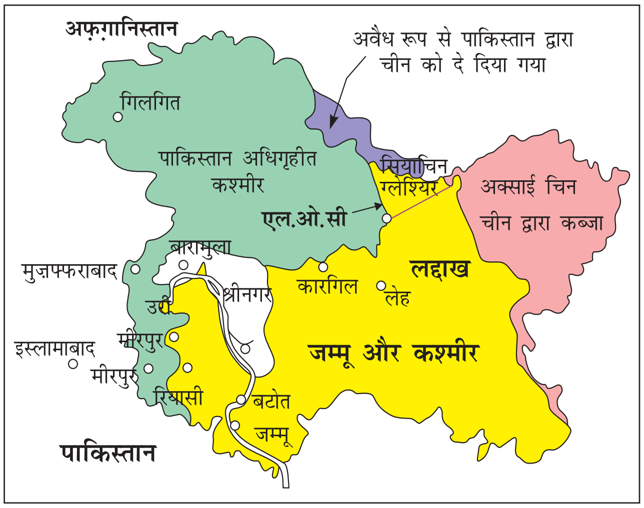

भारत सरकार ने पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर किये गए आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् [United Nation Security Council (UNSC)] का आह्वान किया। हालाँकि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने 'कश्मीर के प्रश्न' को 'भारत-पाकिस्तान विवाद' में रूपांतरित कर दिया। UNSC के एक प्रस्ताव के उपरांत, भारत और पाकिस्तान, दोनों ने 31 दिसंबर, 1948 को युद्ध-विराम स्वीकार कर लिया, जो अभी भी विद्यमान है। 1951 में पाकिस्तान द्वारा अपने नियंत्रण वाले कश्मीर के हिस्से से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के उपरांत संयुक्त राष्ट्र ने उसकी देख-रेख में जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव निरर्थक बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र से अपनी सेनाएँ हटाने से मना कर दिया है।

तब से भारत ने कश्मीर विलय को अंतिम और अपरिवर्तनीय तथा कश्मीर को अपना अभिन्न भाग माना है। पाकिस्तान इस दावे से मना करता रहा है।

हैदराबाद (Hyderabad)

जूनागढ़ के समान हैदराबाद पर भी एक मुस्लिम शासक निजाम उस्मान अली खान का शासन था, जिसकी जनसंख्या लगभग 16 मिलियन थी, जिनमें से 80% से अधिक हिंदू थे। लेकिन हैदराबाद का महत्त्व बहुत अधिक था, क्योंकि यह उस समय की सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र/भूमि से घिरा हुआ था और मध्य भारत में अवस्थित था। इस प्रकार हैदराबाद के विलय के बिना भारतीय क्षेत्र के केंद्र में एक बड़ा भौगोलिक अंतराल उत्पन्न हो जाता, जो संभावित रूप से भविष्य में भारत की सुरक्षा के लिए लगातार ख़तरा उत्पन्न करता। इस प्रकार हैदराबाद का विलय भारत की एकता एवं अखंडता के लिए आवश्यक था।

कई दौर की वार्ता के उपरांत भारत ने यथास्थिति बनाए रखते हुए एक अस्थायी और वर्ष भर चलने वाले समझौते "स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट" ("Standstill Agreement") पर हस्ताक्षर किए।

भारत ने निजाम द्वारा रियासत में प्रतिनिधि सरकार लागू करने की अपेक्षा के साथ इस अस्थायी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि वार्ता जारी रही। लेकिन निजाम का इरादा इस प्रक्रिया में देरी करना और अपनी सैन्य ताकत का विस्तार करना था ताकि भारत को उसकी स्वतंत्रता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सके या कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव से पाकिस्तान में शामिल होने में सफल हो सके।

इस अवधि के दौरान राज्य के भीतर तीन महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विकास हुए।

1. उग्रवादी मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन, इत्तिहाद-उल-मुस्लिमीन और उसके अर्ध-सैनिक विंग रजाकारों (Paramilitary wing Razakars) की संख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई, जिससे हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके परिणामस्वरूप हज़ारों लोगों द्वारा रियासत से भाग कर अन्य भारतीय क्षेत्रों में अस्थायी शिविरों में शरण ली गई।
2. 7 अगस्त, 1947 को हैदराबाद रियासत कांग्रेस ने निजाम पर लोकतंत्रीकरण लागू करने के लिए एक शक्तिशाली सत्याग्रह शुरू किया, जिसके कारण लगभग 20,000 सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया गया।
3. 1946 के उत्तरार्ध से राज्य के तेलंगाना क्षेत्र में एक शक्तिशाली कम्युनिस्ट नेतृत्व वाला किसान संघर्ष विकसित हो गया था। यह आंदोलन 1946 के अंत तक राज्य/रियासत के गंभीर दमन के कारण निष्क्रिय हो गया था। किसान दलम (दस्तों) ने रजाकारों के हमलों के विरुद्ध लोगों की सुरक्षा की, बड़े ज़मींदारों पर हमला किया और उनकी ज़मीनें किसानों और भूमिहीनों के मध्य वितरित कीं।

निजाम ने प्रतिनिधि सरकार की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया; इसके बजाय, वह वार्ता में देरी करते रहे। साथ ही वह अपनी सेना को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक हथियार आयात करता रहा। इन घटनाक्रमों के कारण स्थिति अस्थिर होती जा रही थी। भारतीय सेना द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 13 सितंबर, 1948 को हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो प्रारम्भ किया गया। निजाम ने तीन दिनों के भीतर आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर, 1948 में हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया।

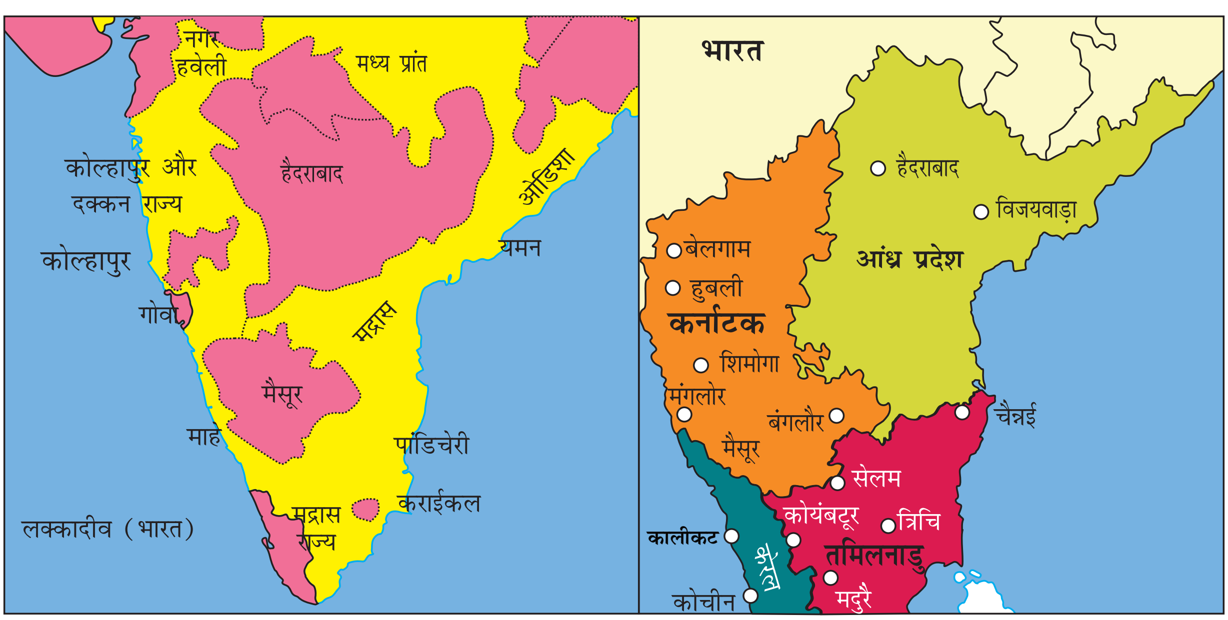

ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद

हैदराबाद का विलय भारत में धर्मनिरपेक्षता की जीत का प्रतीक था, क्योंकि हैदराबाद और देश के शेष हिस्सों में बड़ी संख्या में मुसलमानों ने निजाम के विरुद्ध सरकार की नीति और कार्यों का समर्थन किया, जिससे पाकिस्तान और निजाम निराश हो गए।

ऑपरेशन पोलो हैदराबाद

शेष भारत (Rest of the States)

नए भारतीय राष्ट्र में रियासतों के पूर्ण एकीकरण का दूसरा और अधिक कठिन चरण दिसंबर, 1947 में शुरू हुआ। एक बार फिर सरदार पटेल तीव्रता से आगे बढ़े और एक वर्ष के भीतर एकीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। छोटे राज्यों/रियासतों को या तो पड़ोसी राज्यों में मिला दिया गया या एक साथ मिलाकर 'केंद्र-शासित क्षेत्र' बना दिया गया।

सभी शक्तियों और अधिकारों के अभ्यर्पण (Surrender) के बदले में प्रमुख राज्यों के शासकों को सभी करों से मुक्त किया गया और स्थायी (Perpetuity) प्रिवी पर्स दिये गए। 1949 में प्रिवी पर्स की राशि 4.66 करोड़ रुपये थी और बाद में संविधान द्वारा इसकी गारंटी दी गई। शासकों को गद्दी का उत्तराधिकार दिया गया और कुछ विशेषाधिकार, जैसे कि उनकी उपाधियाँ रखना, उनके व्यक्तिगत झंडे फहराना और औपचारिक अवसरों पर बंदूक की सलामी देना, बरकरार रखे गए।

इसके अलावा भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर फ्रांसीसी और पुर्तगाली स्वामित्व वाली बस्तियाँ थीं, जिनके केंद्र क्रमशः पांडिचेरी और गोवा थे। इन बस्तियों की जनता की लोकप्रिय भावनाएँ भारतीय संघ में शामिल होने के पक्ष में थीं। फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ दीर्घ वार्ता के उपरांत, पांडिचेरी और अन्य फ्रांसीसी बस्तियाँ 1954 में भारत को सौंप दी गई थीं।

ऑपरेशन विजय, गोवा

लेकिन पुर्तगाली अपने क्षेत्रों को सौंपना नहीं चाहते थे, क्योंकि पुर्तगाल के नाटो सहयोगी ब्रिटेन और अमेरिका, उसके इस उद्दंड रवैये का समर्थन करने के इच्छुक थे। गोवा के लोगों ने पुर्तगालियों से स्वतंत्रता की माँग करते हुए एक आंदोलन शुरू किया, लेकिन उसे निर्दयता से दबा दिया गया। लंबे समय तक धैर्य रखने के उपरांत 17 दिसंबर, 1961 में गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए भारतीय सेना को आदेश दिया गया। गोवा के गवर्नर-जनरल ने बिना युद्ध के आत्म-समर्पण कर दिया। इस प्रकार, चौदह वर्ष की अवधि में भारत का राजनीतिक एकीकरण पूरा हो गया।

सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका (Role of Sardar Vallabh Bhai Patel)

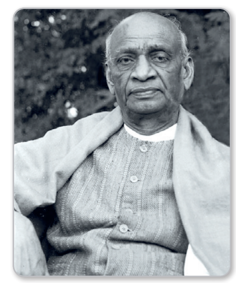

सरदार पटेल ने अपने कूटनीतिक कौशल और दूरदर्शिता से रियासतों के एकीकरण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया। एक लोकतांत्रिक स्वशासन वाले भारत में 565 स्वतंत्र रियासतों के एकीकरण की समस्या बहुत संवेदनशील थी। लेकिन एक बार ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता समाप्त हो जाने के उपरांत, भारत को विभाजन से संरक्षित करना आवश्यक था। उन्होंने निम्नलिखित प्रकार से रियासतों के एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई:

- सरदार पटेल स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद् में गृह और राज्य मामलों के मंत्री थे और उन्हें सत्ता हस्तांतरण के लिए समय पर एकजुट और रणनीतिक रूप से सुरक्षित भारत के निर्माण की ज़िम्मेदारी दी गई थी।
- सरदार पटेल ने अपने निजी सचिव वी.पी. मेनन सहित भारतीय संघ के साथ रियासतों के एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित संधि परिग्रहण का साधन/विलय-पत्र/(इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन) तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- पटेल ने भारत की एकता एवं अखंडता को प्रधानता देते हुए कठोर/दृढ़ नीति का पालन किया।
- पटेल की दृढ़ता और कठोर प्रतिबद्धता के कारण अधिकांश रियासतों ने 15 अगस्त, 1947 तक भारत में शामिल होने की उनकी अपील का प्रत्युत्तर दिया।
- कई उदाहरणों पर उन्होंने अनुनयन और दबाव दोनों का प्रयोग किया और साथ ही शासकों से देशभक्ति का आह्वान भी किया।
- पटेल ने भारत में विलय के उपरांत रियासतों की चिंताओं को दूर करने की दिशा में भी काम किया, जिससे एकीकरण प्रक्रिया में तेज़ी आई।

- उन्होंने एक कुशल राजनेता के रूप में जूनागढ़ को एकीकृत करने का कार्य किया, जिसके बिना जूनागढ़ आज पाकिस्तान का हिस्सा होता। उन्होंने चतुराई से हैदराबाद के निजाम को भी अपने नियंत्रण में कर लिया।

स्पष्ट रूप से सरदार पटेल की कुशल कूटनीति और व्यावहारिकता के कारण, रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया बिना किसी गृह युद्ध के पूरी हो गई और इस प्रकार देश के विभाजन को सफलतापूर्वक टाल दिया गया।

विभाजन और उसके तात्कालिक (Partition and its Aftermath)

विभाजन (Partition)

भारत में अपने शासन को सुदृढ़ एवं चिरस्थायी बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो (Divide-and-Rule) की नीति अपनाई थी। उन्होंने भारत के लोगों के बीच में अपने ज्ञान का विस्तार, वर्तमान में उनके सह-अस्तित्व के तरीकों के बजाय बुनियादी धार्मिक ग्रंथों और उनमें पाए जाने वाले आंतरिक मतभेदों पर आधारित किया। उन्हें उन मुसलमानों से संभावित खतरे की भी आशंका थी, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के तहत 300 वर्षों से अधिक समय तक भारत पर शासन किया था।

19वीं सदी के अंत तक देश में कई राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे। एक ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटेन से भारत छोड़ने का आह्वान कर रही थी, दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने 1940 में ''बाँटो और छोड़ो'' ('Divide and Quit') का प्रस्ताव पारित किया था। उप-महाद्वीप में एक अलग मुस्लिम मातृभूमि (Muslim Homeland) के जन्म के कई कारण थे और इसके लिए तीनों पक्षकार-ब्रिटिश, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जिम्मेदार थे।

द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत, ब्रिटेन के पास अब अपनी विस्तृत और विशाल शाही संपत्ति/उप-निवेशों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे और उनके द्वारा भारत अव्यवस्थित तरीके से जल्दबाजी में और अपरिपक्वता के साथ छोड़ा गया था।

भारतीय क्षेत्र के विभाजन से लगभग 12 मिलियन लोगों का पलायन हुआ था। पलायन करने वाले उजड़ गए, या अपने घरों से भाग गए और अपनी सुरक्षा की तलाश में उन्होंने पलायन किया। उप-महाद्वीप में हिंसा के द्वारा समुदायों का ध्रुवीकरण इससे पहले कभी नहीं हुआ था।

विभाजन के कारण दो संप्रभु देशों- 14 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त, 1947 को भारत का निर्माण हुआ। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पाकिस्तान के पूर्वी बंगाल (बाद में बांग्लादेश) और भारत के पश्चिम बंगाल में विभाजित किया गया था। इसी प्रकार ब्रिटिश भारत के पंजाब क्षेत्र को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में विभाजित किया गया था। साथ ही, विभाजन के कारण रक्षा बल, सिविल सेवाओं, राजकोष और अन्य संपत्तियों का विभाजन भी किया गया था।

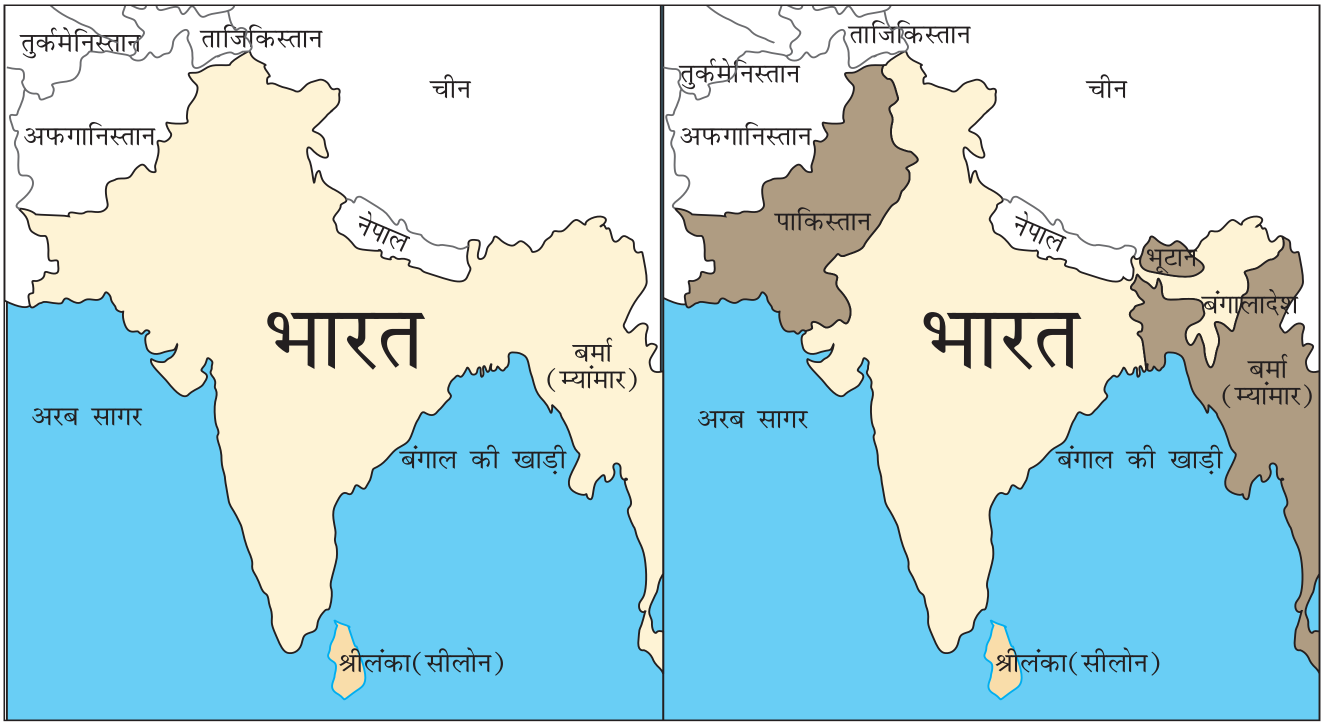

भारत 1947 के पूर्व और पश्चात्

तात्कालिक परिणाम (Aftermath)

विभाजन का प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर क्षेत्र पर पड़ा था।

सामाजिक प्रभाव (Social Impact)

विभाजन का तात्कालिक परिणाम हिंसा थी। पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिससे जान-माल की हानि हुई और परिणामस्वरूप दोनों समुदायों के मध्य कटुता उत्पन्न हुई। पंजाब और बंगाल प्रांत, पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान के साथ भारत की सीमाओं से सटे हुए थे। इन क्षेत्रों में विशेष संहार (Carnage) के रूप में नरसंहार (Massacres), आगजनी, जबरन धर्मांतरण, सामूहिक अपहरण और क्रूर यौन हिंसा जैसी घटनाएँ देखने को मिली थीं।

इसके अलावा, भारत को स्वतंत्रता मिलने के उपरांत विभाजन वाले क्षेत्रों में अल्पसंख्यक सीधे प्रभावित हुए थे। उनका भविष्य ख़तरनाक स्थिति में था, क्योंकि मुस्लिम लीग द्वारा 'सीधी कार्यवाही' अभियान के उपरांत कलकत्ता और पूर्वी बंगाल के नोआखली जिलें में क्रमशः हत्याव अशांति उत्पन्न हुई

राजनीतिक प्रभाव (Political Impact)

विभाजन के कारण पूर्व ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में लगभग 12 से 15 मिलियन लोग विस्थापित हुए थे।

विभाजन का आशय प्रदेशों/क्षेत्रों का विभाजन भी था। विभाजन के उद्देश्य से ब्रिटिश सिविल सेवक सिरिल रेडक्लिफ को मानचित्र पर सीमा निर्धारित करने का (सीमा निर्धारण आयोग) कार्य सौंपा गया था। विचाराधीन सीमा-रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी, जिसे स्वतंत्रता और विभाजन से लगभग तुरंत पहले 1947 की गर्मियों में जल्दबाजी में खींचा गया था। अपने स्वयं के राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की जल्दबाजी में ब्रिटिश भारत ने अंतिम राजनीतिक अलगाव से पहले क्षेत्रीय विभाजन को पूरा नहीं करने का फैसला किया। इस निर्णय ने भारतीय और पाकिस्तानी नागरिकों को इस जटिल स्थिति में डाल दिया कि वे 15 या 16 अगस्त को किस देश में थे। इसके अतिरिक्त रेडक्लिफ रेखा की घोषणा में माउंटबेटन की देरी का मतलब प्रभावी रूप से यह था कि भारत और पाकिस्तान के अस्तित्व में आने से पहले दो दिनों तक कोई सीमा नहीं थी। इससे हिंसा का स्तर बढ़ गया और कई लोग मारे गए, जिन्हें बचाया जा सकता था।

सबसे बड़ा प्रभाव निश्चित रूप से कश्मीर मुद्दा था। भारत जूनागढ़ और हैदराबाद राज्यों के संघर्ष को सुलझाने में सक्षम था, लेकिन कश्मीर सीमा पर होने के कारण यह मुश्किल मुद्दा था। यह मुद्दा आज भी अनसुलझा है और पाकिस्तान व भारत में आतंकवादी संगठनों के लिए उनके विस्तार का साधन बना हुआ है।

आर्थिक प्रभाव (Economic Impact)

विभाजन के साथ अविभाजित भारत का 77% भू-भाग और लगभग 82% जनसंख्या भारत के पास रह गई और शेष पाकिस्तान को मिला। विभाजन का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योग; अर्थात् जूट और कपास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विभाजन के कारण महत्त्वपूर्ण कच्चे जूट और कपास उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान (जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है) में चले गए, जबकि मिलें भारत में स्थित थीं। विभाजन के फलस्वरूप कागज, चर्म शोधन (Leather tanning) और कुछ रासायनिक उद्योगों में भी कच्चे माल की कमी का अनुभव किया गया।

विभाजन के परिणामस्वरूप सूती कपड़ा, काँच, एल्युमीनियम, वनस्पति तेल, रबर, फुटवियर आदि जैसे उत्पादों की माँग में अंतर उत्पन्न होने से बाज़ार का नुकसान हुआ, जो पाकिस्तान में जाने वाले क्षेत्रों से आते थे। विभाजन के परिणामस्वरूप देश में परिवहन और संचार सुविधाएँ अस्त-व्यस्त हो गईं। विभाजन के कारण अविभाजित भारत का रेलवे नेटवर्क भी बाधित हो गया, भारतीय संघ को इस नेटवर्क के 24,565 मील और पाकिस्तान को 6,748 मील की दूरी प्राप्त हुई। विभाजन के तुरंत बाद अनिश्चितता और आशंका का वातावरण था। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे देश में निजी उद्यमों का विश्वास डगमगा गया है और निवेश के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

राज्यों का भाषायी पुनर्गठन (Linguistic Reorganization of States)

भाषायी राज्यों के सिद्धांत का भारत के इतिहास में कोई अस्तित्व नहीं था। शासकों की बदलती ताकत और क्षमताओं के अनुसार राज्यों की सीमाएँ बदलती रहीं। भारत पर ब्रिटिश शासन लगभग सौ वर्षों तक कायम रहा, लेकिन उन्होंने भाषाओं के आधार पर क्षेत्र के उचित पुनर्गठन की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार, अधिकांश प्रांत बहुभाषी और बहु-सांस्कृतिक थे।

भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में तर्क:

- यदि एक भाषा में किया जाएँ, तो दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्य सरल हो जाते हैं।
- भारत में भाषा का संस्कृति और रीति-रिवाज़ों से गहरा संबंध है।
- जब राजनीति और प्रशासन उनकी समझ में आने वाली स्थानिक भाषा के माध्यम से संचालित होते हैं, तो लोकतंत्र आम लोगों के लिए वास्तविक अर्थ रखता है।

यही कारण है कि 1919 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में जनता की भागीदारी के साथ, कांग्रेस ने मातृभाषा में राजनीतिक लामबंदी की और 1921 में अपने संविधान में संशोधन किया व भाषायी आधार

पर अपनी क्षेत्रीय शाखाओं का पुनर्गठन किया। तब से कांग्रेस ने बार-बार भाषायी आधार पर प्रांतीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया।

ब्रिटिश काल के दौरान भारत का ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों में विभाजन आकस्मिक था। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत में 565 अलग-अलग रियासतें थीं, जिन्हें एक साथ मिलाकर 27 राज्य बनाये गए। उस समय राज्यों का समूहन/एकीकरण भाषायी या सांस्कृतिक विभाजन के बजाय राजनीतिक और ऐतिहासिक विचारों के आधार पर किया गया था, लेकिन यह एक अस्थायी व्यवस्था थी।

पुनर्गठन प्रक्रिया में देरी के कारण (Reasons to Delay the Reorganisation Process)

- विभाजन ने गंभीर प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक अव्यवस्था पैदा कर दी थी।
- स्वतंत्रता के समय द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद आने वाली गंभीर आर्थिक और कानून व्यवस्था की समस्याएँ भी जुड़ी थीं।
- विभाजन के बाद भारत में सांप्रदायिक स्थिति के साथ-साथ कश्मीर मुद्दा और पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी स्थिति भी विद्यमान थी।
- सरकार को लगा कि वर्तमान समय में सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है।
- आंतरिक सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए तुरंत किया गया कोई भी प्रयास प्रशासन और आर्थिक विकास को अस्त-व्यस्त कर सकता था एवं क्षेत्रीय और भाषायी प्रतिद्वंद्विता को बढ़ा सकता था तथा विनाशकारी/विभाजनकारी शक्तियों को उत्प्रेरित कर सकता था व देश की एकता को क्षति पहुँचा सकता था।

जेवीपी समिति (JVP Committee)

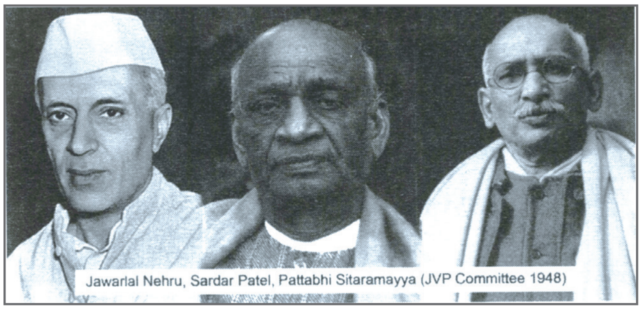
Jawarlal Nehru, Sardar Patel, Pattabhi Sitaramayya (JVP Committee 1948)

भाषायी प्रांत आयोग का गठन न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में 1948 में किया गया था। आयोग ने भाषायी मानदंडों के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन नहीं किया, क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को ख़तरा हो सकता था, लेकिन भाषायी पुनर्गठन को लेकर विशेषकर दक्षिण भारत में लगातार माँग और विरोध होता रहा। इस प्रकार दिसंबर, 1948 में इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया के निर्देशन में JVP समिति का गठन किया गया था। समिति ने अप्रैल, 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को समय की आवश्यकता बताते हुए भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार को उस समय के लिए खारिज कर दिया था।

पोट्टी श्रीरामुलु प्रकरण (Potti Sriramulu Incident)

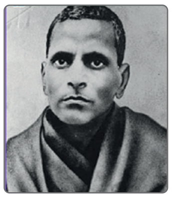
पोट्टी श्रीरामुलु

मद्रास प्रेसीडेंसी में कई अलग-अलग तरह की भाषाएँ प्रचलित थीं। मद्रास प्रेसीडेंसी से आंध्र प्रदेश का गठन करना, एक ज्वलंत मुद्दा था, लेकिन इस सवाल पर पक्ष विभाजित थे कि किस राज्य को मद्रास शहर मिलना चाहिए। इससे प्रकरण दीर्घकाल तक चला गया।

अक्टूबर, 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु नाम के एक अनुभवी कांग्रेसी ने आंध्र राज्य के तत्काल गठन की माँग को लेकर अनशन प्रारंभ कर दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. राजगोपालाचारी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनकी माँग की उपेक्षा की, लेकिन श्रीरामुलु अडिग थे। 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहने के बाद 15/16, दिसंबर की रात को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से व्यापक जनाक्रोश भड़क उठा, पूरे तेलुगु भाषी क्षेत्रों में हड़तालें और धरने आयोजित किये गए तथा प्रदर्शनकारियों ने सरकारी कार्यालयों व रेलवे स्टेशनों पर हमला किया और उन्हें जला दिया। सरकार ने तुरंत उनकी माँग मानते हुए अलग आंध्र राज्य को स्वीकार्यता प्रदान की, जो अंततः अक्टूबर, 1953 में अस्तित्व में आया। इसके साथ ही तमिलनाडु को एक तमिल भाषी राज्य के रूप में स्थापित किया गया।

भूमि पुत्र सिद्धांत/अवधारणा (Sons of the Soil Doctrine)

''भूमि पुत्र सिद्धांत'' के कारण 1950 के दशक से ही क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला। यह इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि एक राज्य, अपने संसाधनों के साथ, मुख्य रूप से राज्य के मुख्य भाषायी समूह (Linguistic Group) से संबंधित होता है, जिन्हें 'भूमि पुत्र' या 'स्थानीय' निवासी कहा जाता है। अन्य वे सभी, जो भले ही लंबे समय से वहाँ निवासरत हों, यदि उनकी मातृभाषा राज्य की मुख्य भाषा नहीं है, तो उन्हें 'बाहरी' (Outsiders) माना जाएगा। 'स्थानीय लोगों' ने अपने समूह को स्वदेशी के रूप में चित्रित किया और इस क्षेत्र को अपने समूह के पैतृक निवास (Ancestral Home) के रूप में अधिकारपूर्वक धारण किया। इस प्रकार किसी राज्य या शहर के आर्थिक जीवन से 'बाहरी लोगों' को व्यवस्थित रूप से बाहर करने के लिए भाषायी निष्ठा और क्षेत्रवाद का उपयोग किया गया था।

इस सिद्धांत हेतु उत्तरदायी कारण (Reasons behind this Doctrine)

- हाल ही में शिक्षित लोगों के लिए रोज़गार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में अर्थव्यवस्था की विफलता ने नौकरियों की बड़ी कमी पैदा कर दी और 1960 व 1970 के दशक के दौरान उपलब्ध नौकरियों के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई।
- ये आंदोलन मुख्य रूप से तब उभरे और अधिक उग्र हुए, जब प्रवासियों व स्थानीय शिक्षित मध्यम वर्गीय युवाओं के बीच औद्योगिक और मध्यम वर्ग की नौकरियों के लिए वास्तविक या संभावित प्रतिस्पर्धा होने लगी।
- यह आंदोलन उन राज्यों और शहरों में अधिक तीव्र रहा है, जहाँ 'बाहरी लोगों' की उच्च शिक्षा तक अधिक पहुँच थी और उन्होंने सरकारी सेवा, व्यवसायों और उद्योग में मध्यम वर्ग के अधिकतर पदों पर कब्जा कर लिया था और छोटे पैमाने के उद्योग व दुकानदारी जैसे छोटे व्यवसायों में संलग्न थे।

यह मुद्दा उन शहरों में अधिक तीव्र था, जहाँ राज्य भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक थे या उनके पास केवल सामान्य बहुमत था; उदाहरण के लिए, 1961 में बॉम्बे में वहाँ की कुल आबादी में से मराठी भाषी आबादी का हिस्सा 42.8% था। बेंगलुरु में कन्नड़ भाषी 25% से भी कम थे।

इसके अलावा 1952 के बाद मध्यवर्गीय नौकरी के अधिकांश अवसर सरकारी सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में थे। इस प्रकार कई राजनेताओं ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए लोगों को इसी आधार पर संगठित किया। उन्होंने राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए 'भूमिपुत्रों' की भावना का लाभ उठाया। उन्होंने दावा किया कि संबंधित राज्यों में 'स्थानीय' लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं और अधिक उन्नत प्रवासी समुदायों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं; अत: उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। निवास के आधार पर आरक्षण को अदालतों द्वारा भी मंज़ूरी दी गई है।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम (States Reorganization Act) 1956

आंध्र के निर्माण के बाद अन्य भाषायी समुदायों ने भी अपने अलग राज्य की माँग तेज़ कर दी थी।

फजल अली आयोग

इस प्रकार समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, सरकार ने अगस्त, 1953 में संघ के राज्यों के पुनर्गठन के पूरे प्रश्न की 'निष्पक्ष और निष्पक्षता' (Objectively and Dispassionately) से समीक्षा करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग (States Reorganisation Commission - SRC) का गठन किया, जिसमें न्यायमूर्ति फजल अली और के.एम. पणिक्कर एवं हृदयनाथ कुंजरू को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। आयोग ने दो साल बाद, 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने पुनर्निर्धारण के लिए भाषायी सिद्धांत को मान्यता दी। राज्य की सीमाओं के अतिरिक्त, इसमें प्रशासनिक और आर्थिक कारकों को उचित महत्त्व देने पर बल दिया गया। सरकार ने आयोग की सिफ़ारिशों को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया और उन्हें तुरंत क्रियान्वित कर दिया।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम नवंबर, 1956 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसमें 14 राज्यों और 6 केंद्र-शासित क्षेत्रों का प्रावधान किया गया था। इस नए संशोधन के तहत भाग-I, भाग-B, भाग-C और भाग-D राज्यों के मध्य मौजूदा वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया और उन्हें 'राज्य' के रूप में जाना जाने लगा, जबकि भाग-C और भाग-D राज्यों को 'केंद्र-शासित प्रदेश' की इकाई द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

इस अधिनियम के परिणामस्वरूप हैदराबाद राज्य का तेलंगाना क्षेत्र आंध्र प्रदेश को हस्तांतरित कर दिया गया; केरल का निर्माण पूर्व मद्रास प्रेसीडेंसी के मालाबार जिले को त्रावणकोर-कोचीन के साथ मिलाकर किया गया था। बॉम्बे, मद्रास, हैदराबाद और कुर्ग राज्यों के कुछ कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मैसूर राज्य में सम्मिलित किया गया। कच्छ और सौराष्ट्र राज्यों तथा हैदराबाद के मराठी भाषी क्षेत्रों को एकसाथ मिलाकर बॉम्बे राज्य का विस्तार किया गया था।

महाराष्ट्र और गुजरात का मुद्दा (Issue of Maharastra and Gujarat)

आयोग ने बॉम्बे और पंजाब को विभाजित करने का विरोध किया था। राज्य के विभाजन के लिए बॉम्बे शहर में व्यापक विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई। दबाव में आकर सरकार ने बॉम्बे राज्य को दो भाषायी राज्यों; महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित कर दिया व बॉम्बे शहर को केंद्र-शासित राज्य बना दिया। इस कदम के विरुद्ध फिर से महाराष्ट्रियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और उन्होंने बॉम्बे शहर को महाराष्ट्र राज्य में शामिल करने की माँग की। गुजरातियों ने महाराष्ट्रियों की माँगों का विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि वे नए राज्य में अल्पसंख्यक हो जाएँगे। इससे बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी, जो अहमदाबाद और गुजरात के अन्य हिस्सों में फैल गई। मई, 1960 में सरकार अंतत: बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित करने पर सहमत हो गई, जिसमें बॉम्बे शहर को महाराष्ट्र में शामिल किया गया व अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बनाया गया।

पंजाब का मुद्दा (Issue of Punjab)

ऐसी ही स्थिति पंजाब में भी थी। पंजाब एक त्रिभाषी राज्य था, जिसमें तीन भाषा-भाषी पंजाबी, हिंदी और पहाड़ी लोग थे। पंजाबी

भाषी लोगों ने एक पंजाबी सूबे/राज्य (पंजाबी भाषी राज्य) की माँग शुरू की, लेकिन यह माँग जल्द ही सांप्रदायिक रंग में रंग गई। अकालियों ने पंजाबी प्रदेश के लिए अहिंसक आंदोलन चलाया। राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे का इस्तेमाल सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने के लिए किया। हिंदू संप्रदायवादी अलग राज्य बनाने के विरुद्ध थे।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि पंजाबी हिंदी से पर्याप्त रूप से भिन्न नहीं है और पंजाबी भाषी राज्य की माँग एक धर्म आधारित सिख राज्य के लिए एक बहाना है। इसे सिख अल्पसंख्यक के विरुद्ध भेदभाव के रूप में देखा गया, क्योंकि संविधान में अन्य सभी 14 भाषाओं को राज्य का दर्जा दिया गया था।

एक दशक से अधिक समय तक चले संघर्ष के बाद 1966 में सिखों के लिए एक अलग राज्य स्थापित किया गया। पंजाब को पंजाबी-भाषी (और सिख-बहुल) पंजाब और हिंदी-भाषी (और हिंदू-बहुल) हरियाणा में विभाजित किया गया था। इसके अलावा पंजाब के 6 पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिये गए।

इस प्रकार एक दशक से अधिक के निरंतर संघर्ष के बाद, भाषायी मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन काफ़ी हद तक समाप्त हो गया। ऐसा करने से लोगों की आकांक्षाएँ संतुष्ट हुई और राष्ट्रीय एकता के लिए मंच तैयार हुआ। साथ ही यह डर भी निराधार प्रतीत हो रहा था कि राज्यों के भाषायी पुनर्गठन से संघीय ढाँचा कमज़ोर हो जाएगा। दूसरी ओर राष्ट्र के राजनीतिक मानचित्र के युक्तिकरण के साथ, राष्ट्र को लाभ होगा, क्योंकि राज्य एकीकृत भारतीय संघ में अधिक कार्यात्मक और सुसंगत इकाइयाँ बन गए हैं।

प्रश्न 2016

क्या भाषायी राज्यों के गठन से भारतीय एकता का उद्देश्य मज़बूत हुआ है?

भारत में आदिवासियों का एकीकरण (Integration of Tribals in India)

आदिवासी पूरे देश में विस्तृत जेवीपी हैं। और उनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषाएँ और जीवन-शैली थी। वे मुख्य रूप से गैर-आदिवासी पड़ोसियों की तुलना में अलगाव (Isolation) के साथ पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते थे। उनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 6.9% थी। पूर्वोत्तर को छोड़कर, उन्हें अपने अन्य गृह राज्यों में अल्पसंख्यकों का दर्जा प्राप्त है।

उपनिवेशवाद के दौरान, आदिवासियों का दूसरे समुदायों से अलगाव (Relative Isolation) कुछ सीमा तक ख़त्म हो गया था। इससे उनका शोषण आरंभ हो गया था, क्योंकि वे खेतिहर मज़दूर बनकर रह गए और जंगलों से उनका परंपरागत संबंध भी समाप्त हो गया था। आदिवासी भोजन, ईंधन, मवेशियों के चारे और अपने हस्तशिल्प के लिए कच्चे माल हेतु जंगलों पर निर्भर थे। इस प्रकार, वे अत्यधिक गरीब और ऋणग्रस्त हो गए थे। भूमि के नुकसान, ऋणग्रस्तता, बिचौलियों द्वारा शोषण, जंगलों और वन उत्पादों तक पहुँच पर प्रतिबंध और पुलिसकर्मियों, वन अधिकारियों व अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और जबरन वसूली किए जाने के कारण उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में कई आदिवासी विद्रोह हुए थे; उदाहरण के लिए- संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह।

जनजातीय एकीकरण में कठिनाइयाँ (Difficulties in Tribal Integration)

- उनका आदिम जीवन जीने का तरीका (Primitive way of life)
- आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन।
- साक्षरता का निम्न स्तर।
- उत्पादन की हैकनीड/परंपरागत (Hackneyed) प्रणाली।
- मूल्य प्रणाली का अभाव।
- पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में छिन्न-भिन्न भौतिक बुनियादी ढाँचा (Sparse Physical Infrastructure)।
- जनजातीय क्षेत्रों की जनसांख्यिकीय गुणवत्ता (Demographic Quality)।

उपर्युक्त समस्याओं ने जनजातियों और जनजातीय क्षेत्रों के विकास की एक व्यवस्थित प्रक्रिया को अनिवार्य बना दिया है।

एकीकरण के सिद्धांत (Theories of Integration)

भारतीय आदिवासी समाज, प्रकृति और लोगों की विविधता वाला एक अनूठा समाज है। भारत में अत्यधिक गरीब आबादी में जनजातीय आबादी का हिस्सा सबसे बड़ा है। आदिवासियों/जनजातियों की एक विशिष्ट संस्कृति और जीवन-शैली है, जो जंगलों और प्रकृति से निकटता से जुड़ी हुई है। अत: एक संतुलन की आवश्यकता थी, जिससे उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए और अपनी विशिष्ट संस्कृति को संरक्षित करते हुए देश के विकास में उचित हिस्सा प्राप्त हो।

इस प्रकार, आदिवासियों का एकीकरण एक अत्यंत गंभीर समस्या का प्रतिनिधित्व करता है।

अलगाव/पृथक्करण का सिद्धांत (Isolation Theory)

इसके अलावा, जनजातीय मुद्दे से निपटने का एक तरीका उन्हें अलग रखना था, अर्थात् जनजातीय लोगों को एकाकी छोड़ देना और यह सुनिश्चित करना कि उनके सांस्कृतिक संबंध मुख्यधारा के समाज की संस्कृति से अछूते रहें, जो उनके लिए स्थानिक नहीं थी। यह उनकी जीवन-शैली को संरक्षित करेगा, लेकिन इसका अर्थ यह होगा कि उनके समाज को कई समस्याओं का सामना

करना पड़ेगा, जिन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आधुनिक विकास के साथ हल किया जा सकता है।

आत्मसातीकरण/स्वांगीकरण/अनुकूलता का सिद्धांत (Assimilation Theory)

साथ ही, जनजातीय लोगों को भारतीय समाज के साथ शीघ्र समाहित करने से निश्चित रूप से गैर-आदिवासियों की तुलना में उनका अधिक विकास होगा, लेकिन इससे उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान व उनके कई अन्य गुण/विशेषताएँ नष्ट हो जाएँगे। वास्तव में इससे अंततः जनजातीय भूमि पर बाहरी/गैर-स्थानिक लोगों का कब्जा हो जाएगा, जो उन्हें चिरकालिक/नित्य गरीबी (Perpetual Poverty) में धकेल देगा।

आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis)

इस प्रकार, ऊपर दिये गए दोनों दृष्टिकोणों के माध्यम से जनजातीय लोगों के अलगाव और आत्मसातीकरण को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बजाय नेहरू ने आदिवासी लोगों की विशिष्ट पहचान और संस्कृति को संरक्षित करते हुए उनके भारतीय समाज में प्रगतिशील एकीकरण की वकालत की। यह दृष्टिकोण इस बुनियादी समझ पर आधारित था कि 'आदिवासी क्षेत्रों को प्रगति करनी है और उन्हें अपने तरीके से तथा अपनी गति से प्रगति करनी है'। संक्षेप में आदिवासी स्वयं निर्णय लेंगे कि उन्हें किन परिवर्तनों की आवश्यकता है और इन परिवर्तनों को वे धीरे-धीरे अपना भी लेंगे। इस प्रकार, अब समस्या यह थी कि इन दो विरोधाभासी प्रतीत होने वाले दृष्टिकोणों को कैसे संयोजित किया जाए।

जनजातीय पंचशील (नेहरूवादी दृष्टिकोण) [Tribal Panchsheel (Nehruvian Approach)]

यह समाधान दो दृष्टिकोणों का संवेदनशील संतुलन था। नेहरू ने आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक विकास की वकालत की, जो लंबे समय में उन्हें सशक्त करेगा और भारतीय समाज के साथ उनका क्रमिक एकीकरण करेगा। इसके लिए जनजातीय विकास हेतु 5 मूलभूत सिद्धांत निर्धारित किये गए:

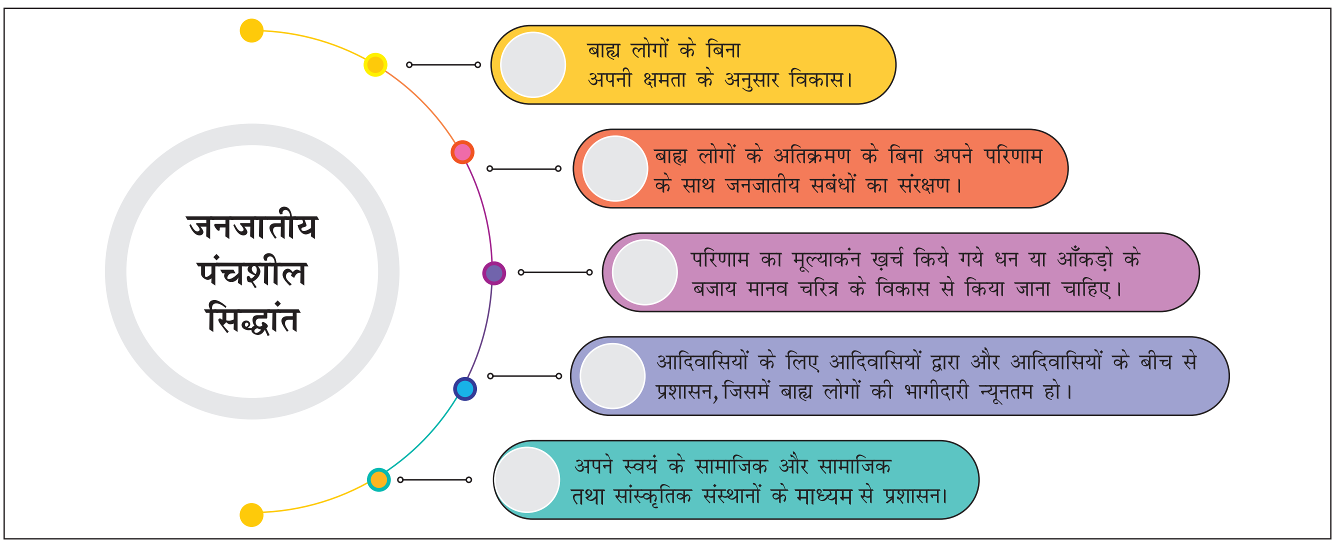

- आदिवासियों को अपनी प्रतिभा/क्षमता के अनुरूप विकास करना चाहिए। हमें उनकी अपनी पारंपरिक कला और संस्कृति को हर तरह से प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। बाहर से कोई दबाव नहीं थोपा जाना चाहिए।
- आदिवासियों के जंगलों के साथ जो रिश्ते हैं, उन्हें बनाए रखने के लिए भूमि और जंगल पर आदिवासियों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। आदिवासियों की ज़मीन पर बाहरी लोगों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए।
- परिणामों का आकलन आँकड़ों या व्यय की गई धनराशि से नहीं, बल्कि विकसित हुए मानवीय चरित्र से किया जाना चाहिए।
- अपने क्षेत्रों के प्रशासन के लिए आदिवासियों पर ही भरोसा किया जाना चाहिए, जिसके लिए प्रशासकों को उनमें से ही भर्ती किया जाना चाहिए और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रशासन में बाहरी लोगों का प्रवेश न्यूनतम रखा जाना चाहिए और साथ ही उन बाहरी लोगों की भर्ती की जानी चाहिए, जिनका दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण और समझदारी वाला हो।
- साथ ही, जनजातीय क्षेत्रों का अति-प्रशासन नहीं होना चाहिए। प्रयास यह होना चाहिए कि आदिवासियों का प्रशासन और विकास उनकी अपनी सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाए।

किये गए प्रयास (Steps Taken)

इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए कई प्रयास किये गए, जो निम्नलिखित हैं:

- संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत, राज्य को आदिवासी लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखना चाहिए

और विशेष कानून के माध्यम से उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षित रखना चाहिए।

- जिन राज्यों में आदिवासी क्षेत्र स्थित थे, उनके राज्यपालों को आदिवासी हितों की रक्षा के लिए विशेष जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में उनके आवेदन में केंद्रीय और राज्य कानूनों को संशोधित करने की शक्ति भी शामिल थी।
- संविधान ने जनजातीय लोगों को पूर्ण राजनीतिक अधिकार भी प्रदान किए। इसके अलावा इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभाओं में सीटों और प्रशासनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों के मामलों के अनुरूप पदों के आरक्षण का प्रावधान किया गया।
- संविधान में आदिवासियों के कल्याण से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए आदिवासी क्षेत्रों वाले सभी राज्यों में आदिवासी सलाहकार परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था, ताकि यह जाँच की जा सके कि उनके लिए प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

गैर-आदिवासी लोगों को आदिवासी भूमि के नुकसान को रोकने और साहूकारों द्वारा आदिवासियों के शोषण को रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विधायी और कार्यकारी कार्यवाही की गई। केंद्र और राज्य सरकारों ने आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासी लोगों के कल्याण और विकास के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें कुटीर और ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देना व उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना शामिल था।

राजभाषा का मुद्दा (Issue of Official Language)

यह मुद्दा भारत की राष्ट्रभाषा का नहीं, बल्कि राजभाषा से संबंधित था। राष्ट्रभाषा का अर्थ होता है कि राष्ट्र की भाषा होगी और उसे सभी भारतवासी बोलेंगे अथवा अपना लेंगे। इसलिए राष्ट्रभाषा के विचार को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश था और इसे ऐसे ही अक्षुण्ण बनाए रखना था। संविधान निर्माताओं ने वस्तुत: सभी प्रमुख भाषाओं को 'भारत की भाषाएँ' स्वीकार कर लिया था, लेकिन एक साझा भाषा (Common Language) की आवश्यकता थी, जिसमें केंद्र सरकार कार्य करती और राज्यों से संपर्क रखती, क्योंकि इतनी सारी भाषाओं में कार्य नहीं हो सकता था। इस प्रकार, राजभाषा के चयन का प्रश्न उठ खड़ा हुआ।

भारत में राजभाषायी स्थिति वाली भाषाएँ (Languages with Official Status in India)

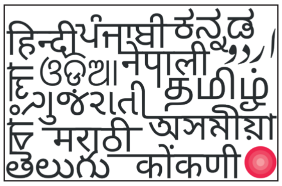

इस उद्देश्य के लिए केवल दो ही वास्तविक विकल्प थे- हिंदी या अंग्रेज़ी भाषाएँ, लेकिन स्वतंत्रता पूर्व काल में ही अंग्रेजी को अस्वीकार कर दिया गया, जब राष्ट्रीय नेताओं को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेजी संचार के लिए अखिल भारतीय माध्यम के रूप में जारी नहीं रह सकती। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि देवनागरी या उर्दू लिपि में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भाषा, भारत की साझा भाषा होगी। संविधान सभा में असली बहस दो सवालों पर हुई: क्या अंग्रेजी की जगह हिंदी या हिंदुस्तानी लेगी? और ऐसे प्रतिस्थापन (Replacement) के लिए क्या समय-सीमा होगी?

हिंदी और हिंदुस्तानी में से किसी एक को चुनने के पहले सवाल पर जमकर बहस हुई। गाँधी जी ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदुस्तानी का समर्थन किया, क्योंकि यह हिंदी और उर्दू के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती थी; इस प्रकार हिंदी और उर्दू भाषाओं के मध्य एक समझौता प्रस्तुत किया गया। हालाँकि विभाजन के उपरांत हिंदुस्तानी के लिए समर्थन कम हो गया था, क्योंकि इसका उर्दू भाषा के साथ स्पष्ट संबंध था।

इस प्रकार थोड़े से अंतर के बावजूद हिंदी को हिंदुस्तानी के विरुद्ध निर्धारित कर दिया गया, लेकिन यह एक छोटा मुद्दा था। इस प्रकार यह प्रस्तावित किया गया कि हिंदी को देश की राजभाषा बनाया जाए, क्योंकि यह भारत में रहने वाले 40% लोगों की मातृभाषा थी और गैर-हिंदी भाषी लोगों की एक बड़ी आबादी भी इसे समझती थी। दूसरे प्रश्न पर संविधान सभा में बड़ी बहस हुई, क्योंकि हिंदी-समर्थक तुरंत हिंदी में बदलाव चाहते थे, जबकि गैर-हिंदी लोग चाहते थे कि अंग्रेजी लंबे समय तक जारी रहे। गैर-हिंदी भाषी इस तथ्य से भयभीत थे कि हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने से गैर-हिंदी भाषी क्षेत्र, विशेषकर दक्षिण भारत शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्रों में नुकसानदेह स्थिति में आ जाएँगे, क्योंकि वे सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएँगे। चूँकि भाषा संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है, इसलिए प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि यह थोपना और कुछ नहीं, बल्कि पूरे देश के आर्यीकरण (Aryanisation) की रणनीति है। साथ ही यह भी आशंका थी कि गैर-हिंदी भाषी क्षेत्र पर हिंदी थोपने से अंतत: अन्य स्थानिक भाषाओं की प्रमुखता/महत्त्व कम हो जाएगा, इसलिए सांस्कृतिक विविधता का महत्त्व भी कम हो जाएगा, जिससे देश में एक सांस्कृतिक समरूपीकरण (Cultural Homogenization) स्थापित हो जाएगा।

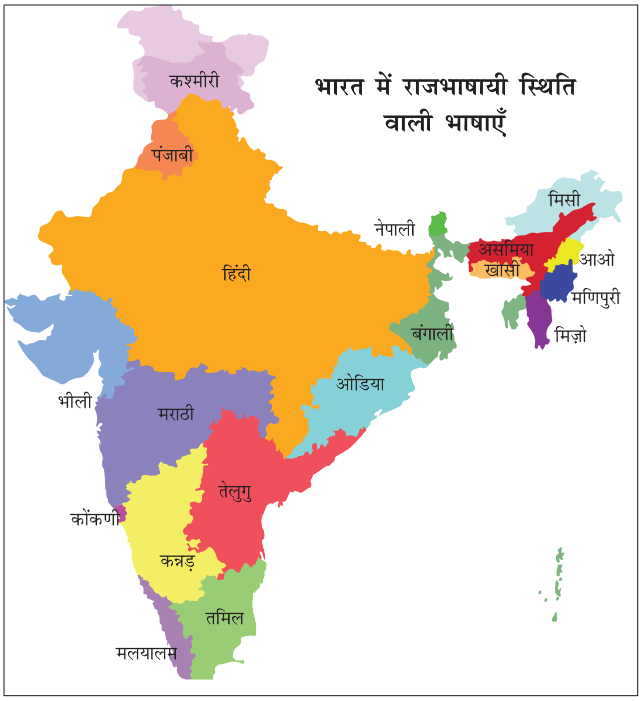

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 में मद्रास प्रेसीडेंसी में चुनाव जीता और सी. राजगोपालाचारी मुख्यमंत्री बने। वह हिंदी भाषा के कट्टर समर्थक थे, क्योंकि उन्होंने माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी भाषा शिक्षण शुरू करने के अपने इरादे की घोषणा की थी। इसके कारण अध्यक्ष पद पर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुलिस बल का उपयोग किया गया। हिंदी की अनिवार्य शिक्षा की इस नीति को बाद में 1939 में कांग्रेस के त्याग-पत्र के बाद मद्रास के ब्रिटिश गवर्नरों ने वापस ले लिया था। राष्ट्रीय भाषा पर संविधान सभा की बहस के दौरान, तमिलनाडु द्वारा दक्षिण भारत में सबसे अधिक हिंदी विरोधी प्रदर्शन किये गए।

इस प्रकार, संविधान सभा में एक समझौता हुआ, जहाँ यह प्रावधान किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय अंकों के साथ देवनागरी लिपि (Devanagari Script) में हिंदी भारत की राजभाषा (Official Language) होगी। 1965 तक सभी आधिकारिक और शासनात्मक उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी का उपयोग जारी रखा जाना था, फिर इसका स्थान हिंदी ले लेगी। उस अवधि के दौरान हिंदी को चरणबद्ध तरीके से पेश किया जाना था, जिससे यह 1965 के बाद एकमात्र राजभाषा बन गई। हालाँकि इसने संसद को 1965 के बाद भी अंग्रेजी के उपयोग की अनुमति देने की शक्ति दे दी।

आशा थी कि 1965 तक शिक्षा के तीव्र विकास के साथ-साथ अब तक अछूते/पिछड़े क्षेत्रों में भी हिंदी का प्रसार हो जाएगा, लेकिन शिक्षा का प्रसार बहुत धीमा था। इसी समय हिंदी-समर्थक उग्रवादियों ने गैर-हिंदी भाषियों द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के लिए क्रमिक और उदार दृष्टिकोण के बजाय सरकारी कार्यवाही के माध्यम से हिंदी को लागू करने की माँग शुरू कर दी। इससे गैर-हिंदी भाषियों में संदेह और चिंता पैदा हो गई। साथ ही हिंदी समर्थकों ने भाषा को संस्कृतीकृत (Sanskritize) करने का प्रयास किया, जिससे कई हिंदी भाषी समर्थक भी दूर हो गए।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (Official Languages Act 1963)

संवैधानिक प्रावधान के तहत 1955 में स्थापित राजभाषा आयोग (Official Language Commission) ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सिफ़ारिश की गई कि केंद्र सरकार की विभिन्न गतिविधियों में हिंदी को धीरे-धीरे अंग्रेजी की जगह लेनी चाहिए। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 1960 में एक आदेश जारी किया गया। कुछ समय बाद UPSC परीक्षाओं के लिए हिंदी भी एक वैकल्पिक माध्यम बनने वाली थी। इन सभी घटनाक्रमों ने गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों में चिंता पैदा कर दी।

गैर-हिंदी भाषियों के डर को दूर करने के लिए नेहरू ने 7 अगस्त, 1959 को संसद में एक निश्चित आश्वासन दिया कि उनकी सहमति के बिना किसी भी क्षेत्र पर राजभाषा थोपी नहीं जाएगी। इस संदर्भ में 1963 में एक राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम का घोषित उद्देश्य 1965 के बाद अंग्रेजी के उपयोग पर लगाये गए प्रतिबंध को हटाना था। अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि हिंदी के अलावा अंग्रेजी भाषा, may ('shall' की जगह) का उपयोग 1965 के बाद भी संघ के आधिकारिक और शासनात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहेगा। इस अधिनियम को गैर-हिंदी भाषियों द्वारा अस्पष्ट/संदिग्ध (Ambiguous) माना गया।

जून, 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद, शास्त्री सरकार द्वारा लोक सेवा परीक्षाओं में हिंदी को एक वैकल्पिक माध्यम बनाने पर विचार करने की घोषणा से गैर-हिंदी भाषियों की आशंकाएँ बढ़ गईं, जिससे हिंदी भाषियों को लाभ मिल सकता था। इससे विशेषकर तमिलनाडु में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ।

बदलाव की तारीख 26 जनवरी, 1965 तय की गई थी। हालाँकि 17 जनवरी को ही तमिलनाडु में एक शक्तिशाली हिंदी विरोधी आंदोलन विकसित हो गया। यहाँ छात्र अत्यधिक सक्रिय थे और उन्होंने "Hindi never, English ever" के नारे लगाए, क्योंकि उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं में रोजगार खोने का डर था। यह आंदोलन पूरे राज्य में फैल गया और व्यापक विरोध प्रदर्शन एवं हिंसा हुई। कई युवाओं ने विरोध प्रदर्शन में खुद को आग के हवाले कर दिया और यह आंदोलन महीनों तक चलता रहा।

इसके उपरांत 1967 में इंदिरा गाँधी सरकार के सत्ता में आने के बाद 1963 के राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया गया। इसमें केंद्र में आधिकारिक कार्यप्रणाली (Official Work) और आपसी संचार (Communication) के लिए हिंदी के अलावा सहयोगी भाषा के रूप में अंग्रेजी का उपयोग करने का प्रावधान किया गया कि केंद्र और गैर-हिंदी राज्य तब तक जारी रहेंगे, जब तक